



कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर - 342001

email- jdajodhpur@yahoo.com वेब-साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/2656355-7 Fax. 021-2612086

क्रमांक/बैठक/2017/ 522

दिनांक :: 19 मई, 2017

बैठक कार्यवाही विवरण

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की बैठक दिनांक 15 मई, 2017 प्रातः 11.00 बजे श्री प्रो. (डॉ.) महेन्द्र सिंह राठौड़, माननीय अध्यक्ष महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में उपस्थित सदस्यों/अधिकारियों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये:-

प्रस्ताव संख्या 1 :: गत बैठक दिनांक 9 सितम्बर, 2016 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि

प्राधिकरण की गत बैठक दिनांक 9 सितम्बर, 2016 का कार्यवाही विवरण जारी किया जा चुका है। अतः प्राधिकरण की गत बैठक दिनांक 9 सितम्बर, 2016 का कार्यवाही विवरण पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बाद विचार विमर्श निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण की गत बैठक दिनांक 9 सितम्बर, 2016 में प्रस्ताव संख्या 18 में लिये गये निर्णय में निम्नानुसार संशोधन करते हुए गत बैठक में लिये गये निर्णयों की पुष्टि करने का निर्णय लिया गया:-

प्राधिकरण की गत बैठक दिनांक 9 सितम्बर, 2016 में प्रस्ताव संख्या 18 में जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) कृषि आधारित उद्योग भवन निर्माण उप विधियां, 2015 तैयार कर पारित किया गया था एवं इनके अनुमोदन एवं प्रकाशन हेतु इस कार्यालय के पत्रांक एफ. 37/ जोविप्रा/ निआ/ 2016/ 1481 दिनांक 23 नवम्बर, 2017 को नगरीय विकास विभाग को भिजवाया गया था। नगरीय विकास विभाग के संयुक्त शासन सचिव-तृतीय द्वारा सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को उनके कार्यालय पत्रांक प. 18 (47) नविवि/ जोधपुर/ 2016 दिनांक 7 फरवरी, 2017 से अवगत कराया है कि, "जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कृषि आधारित उद्योग हेतु अलग से भवन निर्माण उप विधियां प्रस्तावित की गयी है, जिसकी कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। फिर भी यदि प्राधिकरण उचित समझे तो इस उपयोग की तालिका को वर्तमान भवन विनियम में सम्मिलित किये जाने हेतु प्राधिकरण स्तर पर निर्णय लिया जा सकता है।" इस संबंध में प्राधिकरण की गत बैठक में अनुमोदित कृषि आधारित उद्योग भवन निर्माण उप विधियां, 2015 को एतद्वारा प्रत्याहारित किया जाता है एवं राज्य सरकार के पत्र दिनांक 7 फरवरी, 2017 के क्रम में कृषि आधारित उद्योग भवन निर्माण उप विधियां, 2015 के बिन्दु संख्या 9.4 तालिका संख्या 1 निम्नानुसार वर्तमान भवन विनियमों में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया जाता है:-

तालिका-1

क्रम संख्या	भवन मानदण्ड	प्रावधान	
1-	सेट बैक्स	(1250-1500 वर्ग मी.)	9 मी.-4.5मी.-4.5मी.-4.5 मी
		(1500-2500 वर्ग मी.)	12 मी.-6 मी.- 6मी. - 6मी.
		(2500-10000 वर्ग मी.)	15 मी. 10-मी. - 10 मी. 10- मी
		(10000 वर्ग मी. से अधिक)	18 मी.-10 मी.- 10 मी. - 10मी.
2-	भू-आच्छादन	25 प्रतिशत (अधिकतम)	
3-	एफ.ए.आर.	0.4 (अधिकतम)	
4-	भवन की अधिकतम ऊंचाई	12.00 मीटर (अधिकतम) (जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) विनियम, 2013 के बिन्दु संख्या 8.11 (iii) भवन अनुलग्न संरचनाओं को छोड़कर)	
5-	पार्किंग सुविधा	1 समतुल्य कार इकाई (ई.सी.यू.) प्रति 100 वर्ग मीटर एफ.ए.आर.	

उक्त तालिका में भू आच्छादन को 25 प्रतिशत अनुज्ञेय रखा जाता है जो कि नगरीय विकास विभाग के पत्रांक प. 3 (235) नविवि/3/2013 दिनांक 3 अक्टूबर, 2013 में निर्देशित है।

प्रस्ताव संख्या 2 :: जोधाणा जन कल्याण सेवा समिति मानव सेवा आश्रम (वृद्धाश्रम - अनाथालय) के भावी उपयोग के संबंध में निर्णय

जोधणा जन कल्याण सेवा समिति रूप नगर महामंदिर जोधपुर को दिनांक 11.03.2013 को रूपवाटिका सार्वजनिक उद्यान एवं सामुदायिक भवन रूप नगर महामंदिर जोधपुर को गोद दिया गया था।

पार्क को गोद देने के बाद प्राधिकरण द्वारा इस भूमि पर ग्राउण्ड फ्लोर एवं प्रथम फ्लोर पर विभिन्न कार्यादेशों के द्वारा 3 करोड़ 77 लाख रुपये का निर्माण कार्य करवाया जिसमें आर्फन चिल्ड्रन हाउस रूप नगर में शेष कार्य के अन्तर्गत रुपये 108.4 लाख तथा वृद्धाश्रम रूपनगर में सामुदायिक भवन का शेष कार्य मद से 65.75 लाख रुपये का कार्य करवाया गया। इस सभी कार्यों की पत्रावलियां ए.सी.बी. जोधपुर विकास प्राधिकरण जांच के अधीन है।

जोधणा जन कल्याण सेवा समिति को सिर्फ पार्क एवं सामुदायिक भवन ही गोद दिया गया था। इस संस्था ने वृद्धाश्रम एवं अनाथालय आदि के निर्मित भवनों पर बिना किसी अधिकार के कब्जा कर लिया और इस भवनों में बिना विधिवत् बिजली कनेक्शन के लाईट लेना शुरू कर दिया, जिसके कारण जे.वी.वी.एन.एल. जोधपुर ने उनके विरुद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज करवाये हैं। इस संबंध में एक जनहित याचिका भी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में दर्ज की गयी है। जिसमें माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है कि जोधपुर विकास प्राधिकरण वर्तमान में इस भवन में निवास कर रहे वृद्धजनों को वहां से अन्यत्र स्थानान्तरित ना करें। साथ ही साथ इस भवन के भावी उपयोग के संबंध में अपना अभिमत आगामी पेशी पर प्रस्तुत करें। तदनुसार इस संबंध में नीतिगत निर्णय लेने हेतु पत्रावली कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 3 मार्च, 2017 में जरिये प्रस्ताव संख्या 21 प्रस्तुत हुआ।

कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 3 मार्च, 2017 में निर्णय लिया गया कि निर्मित भवन का उपयोग वृद्धाश्रम के रूप में ही जनहित में रखा जावे। खुली निविदा के माध्यम से ऐसी स्वयं सेवी संस्था/ सोसायटी/ रजिस्टर्ड संस्था से आवेदन प्राप्त कर प्राधिकरण के हित को दृष्टिगत रखते हुए वृद्धाश्रम का संचालन किसी भी संस्था को दिये का नीतिगत निर्णय लिया जाता है। जिससे प्राधिकरण पर कोई वित्तीय भार नहीं आवे।

 2

अतः कार्यकारी समिति की बैठक में लिये गये निर्णय की पुष्टि हेतु प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 3 मार्च, 2017 में लिये गये निर्णय की पुष्टि की जाती है।

प्रस्ताव संख्या 3 :: आर.ओ.बी. सारण नगर के प्रगतिरत् कार्यों को निर्बाध रूप से पूर्ण करने हेतु राज्य सरकार के निर्देशानुसार 16 करोड़ रुपये की राशि रूडसिको को भुगतान योग्य राशि में से प्रथम किश्त के रूप में 5.00 करोड़ की राशि के भुगतान के संबंध में।

राज्य सरकार एवं रेल्वे द्वारा Cost Sharing के आधार पर आर.ओ.बी. सारण नगर का निर्माण कार्य कार्यकारी एजेंसी इरकॉन इन्टरनेशनल लिमिटेड द्वारा करवाया जा रहा है। उक्त परियोजना की कुल लागत 73.73 करोड़ में से 54.02 जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा एवं शेष राशि 19.71 करोड़ रेल्वे द्वारा वहन की जानी है। अनुबंध के अनुसार प्राधिकरण द्वारा वहन की जाने वाली राशि रूडसिको द्वारा Loan के रूप में प्राधिकरण को उपलब्ध करवायी जानी थी एवं प्राधिकरण द्वारा रूडसिको को किस्तों में पुर्नभुगतान किया जाना है।


प्राधिकरण द्वारा वहन योग्य राशि 54.02 करोड़ में से 38.38 करोड़ रू. रूडसिको द्वारा कार्यकारी एजेंसी इरकॉन को भुगतान की जा चुकी है जिसका पुर्नभुगतान प्राधिकरण द्वारा रूडसिको को अनुबंध अनुसार त्रैमासिक किस्तों के रूप में नियमित रूप से किया जा रहा है। वर्तमान में वित्त विभाग के निर्देशानुसार शेष लोन राशि (54.02 - 38.38 = 15.64, लगभग 16 करोड़) उपलब्ध नहीं कराई जाकर प्राधिकरण द्वारा ही भुगतान किये जाने के निर्देशों के क्रम में आर.ओ.बी. सारण नगर के प्रगतिरत् कार्य को निर्बाध रूप से पूर्ण करने हेतु राज्य सरकार के निर्देशानुसार 16 करोड़ रूडसिको को भुगतान योग्य राशि में से प्रथम किस्त के रूप में 5 करोड़ के भुगतान हेतु प्रस्ताव कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 3 मार्च, 2017 में जरिये प्रस्ताव संख्या 22 प्रस्तुत हुआ। जिसमें प्रस्तावानुसार 5.00 करोड़ रुपये की राशि के भुगतान की स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

अतः कार्यकारी समिति के बैठक में लिये गये निर्णय के अनुमोदन हेतु प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 3 मार्च, 2017 में प्रस्ताव संख्या 22 के अनुसार रूडसिको को 16.00 करोड़ रुपये की राशि भुगतान करने की स्वीकृति एवं प्रथम किश्त के रूप में 5.00 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रस्ताव संख्या 4 :: टेन्ट व फर्निचर व विद्युत व्यवस्था के मद में वर्ष 2016-17 में निर्धारित व्यय से अधिक व्यय राज्य सरकार के तीन वर्ष के उपलब्ध में जोधपुर में आयोजित कार्यक्रम एवं राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह जोधपुर में आयोजित होने से व्यय हुई अधिक राशि के कम में पुनर्विनियोग व स्वीकृति के संबंध में



राज्य सरकार के तीन वर्ष पूर्ण होने पर दिनांक 09.12.2016, 11.12.2016 एवं 12.12.2016 को आयोजित बैठक में श्रीमान् जिला कलक्टर, श्रीमान् आयुक्त जोधपुर विकास प्राधिकरण एवं श्रीमान् अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट श्री दुर्गेश बिस्सा, श्री मानाराम पटेल श्री गजेन्द्रसिंह शेखावत सांसद, श्री नारायण पंचारिया, राज्य सभा सदस्य, श्री घनश्याम औझा महापौर, श्री कैलाश भंसाली, विधायक शहर, श्री महेन्द्रसिंह राठौड अध्यक्ष, जोधपुर विकास प्राधिकरण एवं उपस्थित विधायक महोदय की उपस्थिति में आयोजित बैठक के निर्णयानुसार श्रीमान् जिला कलक्टर, जोधपुर द्वारा जारी बैठक कार्यवाही विवरण क्रमांक 3 वर्ष प्रदर्शनी / 2016 / 7228 दिनांक 13.12.2016 द्वारा दिनांक 17.12.2016 से 23.12.16 तक होने वाले जिला स्तरीय प्रदर्शनी एवं विभिन्न कार्यक्रमों में आयोजन/ आमसभा के लिए डोम, टेन्ट व अन्य व्यवस्था के लिये जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को निर्देशित किये जाने के फलस्वरूप कार्यादेश क्रमांक 4514 दिनांक 13.12.2016 के तहत राशि रुपये 61.90 लाख का जारी किया गया।

वर्तमान में जोधपुर विकास प्राधिकरण में उक्त प्रकार के लिये प्रचलित दर संविदा मैसर्स संकलेचा टेन्ट हाऊस (अनुबंध संख्या एफ 38 (10) /2015- 16) की दरें जो कि दिनांक 05.02.17 तक बढ़ाई गई इस निविदा की अनुमानित लागत राशि रुपये 30.00 लाख निर्धारित की गई थी। जिसके विरुद्ध अब तक राशि रुपये 27.00 लाख का भुगतान किया जा चुका है।

दिनांक 17.12.16 से 23.12.16 तक टेन्ट/ डोम व अन्य व्यवस्था के लिये लगभग राशि रु. 61.90 लाख का व्यय हुआ है जो कि मूल स्वीकृत राशि से अधिक होने के कारण एवं बजट का पुनर्विनियोग (Re-Appropriation) कर अन्य मद से टेन्ट फर्निचर किराये की मद में स्थानांतरण एवं टेन्ट व्यवस्था के किराये के लिए राशि रुपये 62.00 लाख के अतिरिक्त भुगतान की स्वीकृति हेतु प्राधिकरण के समक्ष अनुमोदन करवाया जाना है। इस संबंध में प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 3 मार्च, 2017 में जरिय प्रस्ताव संख्या 23 प्रस्तुत हुआ। बैठक में निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण चूंकि राज्य सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित समारोह में टेन्ट, फर्निचर एवं विद्युत व्यवस्था के व्यय से संबंधित है जिसे कि जिला कलक्टर महोदय की अध्यक्षता में हुई विभिन्न बैठकें जिसमें माननीय सांसद महोदय, महापौर नगर निगम, विधायक जोधपुर शहर आदि उपस्थित थे एवं इस प्रकरण में बजट का पुनर्विनियोग भी आवश्यक है। जिसके लिए जोधपुर विकास प्राधिकरण की बैठक में निर्णय लिया जाना आवश्यक है। अतः प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जावे।

अतः कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 3 मार्च, 2017 में लिये गये निर्णय की अनुपालना में प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेशक-वित्त से जानकारी ली गई कि क्या उक्त प्रकरण प्राधिकरण की अधिकारिता में आता है? यदि हाँ तो, नियम सहित स्पष्ट करें। इस पर निदेशक-वित्त कोई नियम नहीं बता सके। साथ ही निदेशक-वित्त ने यह सुझाव दिया कि प्रकरण कार्यकारी समिति को पुनः परीक्षण कर, निस्तारण हेतु भेजना उचित रहेगा। अतएव बैठक में सर्व सम्मति से प्रकरण पुनः कार्यकारी समिति में नियमान्तर्गत परीक्षण कर प्रस्तुत करने के लिए निदेशक-वित्त को निर्देशित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 5 :: ग्राम पंचायत कुडी भगतासनी के लिए विवेक विहार योजना में ग्राम पंचायत भवन हेतु भूमि आवंटन बाबत।

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 27.06.2016 के प्रस्ताव संख्या 20 के अनुसार आवंटन नीति-2015 के प्रावधानों के अनुरूप विवेक विहार योजना के रिवाइज्ड ले-आउट प्लान के सेक्टर 'सी' में सरकारी कार्यालयों एवं पुलिस स्टेशन प्रयोजनार्थ आरक्षित

भूमि में से ग्राम पंचायत भवन हेतु पौन बीघा भूमि आवंटन करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

प्राधिकरण के पत्र क्रमांक एफ-46/आवंटन (दक्षिण)/2016/546 दिनांक 09.09.2016 के द्वारा प्रस्ताव राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जाने पर संयुक्त शासन सचिव-तृतीय नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के पत्र क्रमांक प.1(51) नविवि/जोधपुर/2016 जयपुर दिनांक 05.12.2016 के द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में 3/4 (पौन) बीघा भूमि आवंटन की स्वीकृति प्रदान की गई। परन्तु आदेश में भूमि का आवंटन निःशुल्क किया जाना है अथवा कीमतन राशि वसूल कर किया जाने का उल्लेख नहीं था।

संयुक्त शासन सचिव-तृतीय नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के नवीन आदेश क्रमांक एफ.3(55) नविवि/3/2002 जयपुर दिनांक 25.11.2016 में राजकीय विभागों को उनके कार्यालय, इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु 1000 वर्गमीटर तक निःशुल्क भूमि आवंटन की शक्तियां विकास प्राधिकरण/न्यास/नगरीय निकाय को प्रत्यायोजित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः प्रस्ताव कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 3 मार्च, 2017 में जरिये प्रस्ताव संख्या 30 प्रस्तुत हुआ। जिसमें निर्णय लिया गया कि ग्राम पंचायत भवन हेतु भूमि आवंटन की शक्तियां प्राधिकरण में निहित होने से प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावे।

अतः कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 3 मार्च, 2017 में लिये गये निर्णय की अनुपालना में प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 25 नवम्बर, 2016 जिसमें भूमि आवंटन नीति 2015 के अन्तर्गत राजस्थान के नगरीय निकायों को निःशुल्क भूमि आवंटन की शक्तियां प्रत्यायोजित की गयी है। उक्त आदेश के अनुसार राजस्थान नगरीय सुधार (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 2017 के नियम 31 सपठित नियम 15 (बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एवं अन्य राजकीय विभागों को उनके कार्यालय, इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु निःशुल्क भूमि आवंटन के लिए विकास प्राधिकरणों को शक्तियां प्रत्यायोजित की जाती है।" अतः उपरोक्त आदेश के क्रम में ग्राम कुडी भगतासनी के लिए विवेक विहार योजना के रिवाईज्ड ले-आऊट प्लान के सेक्टर-सी में सरकारी कार्यालय व पुलिस स्टेशन प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि में से ग्राम पंचायत भवन हेतु 1000 वर्ग मीटर भूमि निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 6 :: बरकतुल्ला खां स्टेडियम के आवंटन नियम/ विनियम बाबत प्रस्ताव

बरकतुल्ला खां स्टेडियम खेल मैदान, कमरे एवं हॉल का आवंटन करने के संबंध में विभिन्न समाज/सरकारी कार्यालय/संस्थान आदि के आवेदन पत्र प्रतियोगिता आयोजित करने हेतु प्राप्त होने पर स्टेडियम का आवंटन करने के संबंध में नियम एवं शर्तों का निर्धारण नहीं होने पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्राधिकरण के पत्र क्रमांक एफ-46/आवंटन (दक्षिण)/2016/910 दिनांक 01.03.2016 के द्वारा सचिव-अध्यक्ष, निदेशक अभियांत्रिकी-सदस्य सचिव, निदेशक विधि-सदस्य, उपायुक्त (दक्षिण)-सदस्य एवं प्रभारी अधिकारी (बरकतुल्ला खां स्टेडियम) कमेटी का गठन किया गया। कमेटी द्वारा आवंटन के संबंध में निम्नानुसार बरकतुल्ला खां स्टेडियम के आवंटन संबंधित नियम/उपनियम बनाने/आगामी आदेशों तक स्टेडियम आवंटन संबंधित प्रस्तावित सामान्य प्रावधान तैयार किया गया:-

2


क्र.स.	विवरण		नियम एवं शर्तें
1.	आवेदन हेतु मापदण्ड एवं धरोहर राशि	सरकारी	सरकारी आवेदन को प्राईवेट आवेदन पत्र की तुलना में प्राथमिकता दी जायेगी। सरकारी विभाग का आवेदन पत्र जिलास्तरीय सर्वोच्च अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत किया जावेगा तथा सरकारी विभाग हेतु धरोहर राशि जमा नहीं करानी होगी।
		प्राईवेट	व्यक्तिगत आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा अर्थात् अमान्य होंगे। समाज/समिती/कम्पनी के लैटर हैड पर अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर युक्त आवेदन पर ही विचार किया जायेगा। आवेदन पत्र के साथ 25,000 रु./- धरोहर राशि (डी.डी./बैंकर्स चैक) सलंगन की जानी अनिवार्य होगी, अन्यथा आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। जिस तिथी के लिए स्टेडियम आवंटन चाहा गया है उस तिथी से कम से कम 15 दिवस पूर्व आवेदन करना होगा। एक ही समय में, एक से अधिक सरथानों के आवेदन प्राप्त होने पर सरकारी विभाग को प्राथमिकता दी जायेगी एवं विभिन्न आवेदन एक साथ प्राप्त होने पर आवेदन पत्र को प्राथमिकता नहीं देकर आवंटन निर्धारण हेतु अध्यक्ष/आयुक्त महोदय का निर्णय अन्तिम/मान्य होगा।
2.	आवंटन का प्रयोजन	सरकारी / प्राईवेट	स्टेडियम खेल मैदान केवल क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित करने हेतु ही आवंटित किया जायेगा। सरकारी कार्यक्रम/राष्ट्रीय महत्व के कार्य हेतु स्टेडियम आवंटन किया जा सकेगा। अन्य प्रयोजनार्थ हेतु आवंटन नहीं किया जायेगा।
3	दर	सरकारी	केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के सरकारी विभागो को स्वीकृत दरो की 25 प्रतिशत रियायती-दर पर आवंटन किया जा सकेगा। सरकारी विभाग को निःशुल्क आवंटन का अधिकार प्राधिकरण का होगा।
		प्राईवेट	स्टेडियम खेल मैदान हेतु मैदान किराया प्रतिदिन रु 30,000/- प्रत्येक कमरे हेतु प्रतिदिन रु. 1,000/- एवं प्रत्येक हॉल हेतु प्रतिदिन रु. 2,000/- शुल्क देय होगा। निःशुल्क आवंटन नहीं किया जा सकेगा। नियमानुसार सर्विस टैक्स अलग से देय होगा।
4.	मॉग पत्र	सरकारी	सरकारी विभाग हेतु इस नियम में छूट रहेगी।
		प्राईवेट	मॉग पत्र जारी होने पर 24 घण्टे के भीतर राशि जमा करानी अनिवार्य होगी अन्यथा आवेदन /मॉग पत्र निरस्त समझा जावेगा।
5.	आवंटन की अधिकतम समय अवधि	सरकारी	सरकारी विभाग/सरकारी कार्यक्रम हेतु इस नियम में छूट रहेगी।
		प्राईवेट	समाज/संस्था/कम्पनी आदि को क्रिकेट प्रतियोगिता हेतु अधिकतम 15 दिवस हेतु ही आवंटन जारी किया जा सकेगा। क्रिकेट प्रतियोगिता हेतु खेल मैदान प्रातः 8.00 बजे से भाम 6.00 बजे तक खेलने की अनुमति दी जायेगी। प्रतियोगिता के दौरान रात्रि काल में फ्लड लाइटो का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। कमरे व हॉल का उपयोग प्रातः 9.00 बजे से अगले दिन प्रातः 9.00 बजे तक (24 घण्टे) किये जाने की अनुमति दी जायेगी।
6.	आवंटन निरस्त एवं धरोहर राशि वापसी के प्रावधान	सरकारी	कोई मापदण्ड लागू नहीं होंगे।
		प्राईवेट	धरोहर-राशि एवं मैदान-किराया की राशि जमा होने के पश्चात् अगर किसी कारणवश स्टेडियम मैदान/कमरे/हॉल उपयोग में नहीं लिया जाता है या आवंटन निरस्त करने हेतु आवेदन किया जाता है, तो धरोहर राशि एवं किराये की जमा राशि वापस नहीं लौटाई जायेगी। किसी भी प्रकार की टूट-फुट /क्षति/गन्दगी की क्षतिपूर्ति जमा धरोहर राशि में से राशि की कटौती की जावेगी। धरोहर राशि की वापसी स्टेडियम के अधिशाषी अभियंता की एन.ओ.सी. के बाद जारी की जायेगी।
7.	वाद/शिथिलता	सरकारी / प्राईवेट	वाद की स्थिति में या नियम में शिथिलता हेतु अध्यक्ष/आयुक्त महोदय का आदेश मान्य होगा।

2


अतः बरकतुल्ला खाँ स्टेडियम के आवंटन संबंधित नियम/उपनियम बनाने/आगामी आदेशों तक स्टेडियम आवंटन संबंधित प्रस्तावित सामान्य प्रावधान प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 3 मार्च, 2017 में जरिये प्रस्ताव संख्या 31 प्रस्तुत हुआ। कार्यकारी समिति की बैठक में प्रस्ताव में निम्नलिखित संशोधन के साथ सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:-

1- बरकतुल्लाह खाँ स्टेडियम मैदान का किराया प्रतिदिन 30,000/- रुपये के स्थान पर 20,000/- (बीस हजार मात्र) प्रतिदिन निर्धारित किया जावे

2- यदि रात्रिकालीन/डे-नाईट क्रिकेट मैच आयोजित करवाया जाता हो तो इसके लिए 50,000/- (पचास हजार रुपये) प्रति घण्टा की दर से राशि फलड लाईटों हेतु किराये के अतिरिक्त पृथक से वसूल की जाकर अनुमति दी जा सकती है। शेष उपरोक्त प्रस्ताव के अनुसार ही अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया एवं इसके साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि इस प्रस्ताव का अन्तिम अनुमोदन प्राधिकरण की आगामी बैठक में करवाया जावे बरकतुल्लाह खाँ स्टेडियम के आवंटन के संबंध में दिनांक 3 मार्च, 2017 के पश्चात् प्राप्त होने आवेदन पत्रों पर इस निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जाकर संशोधित दर से राशि वसूल की जावे।

अतः कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 3 मार्च, 2017 के प्रस्ताव संख्या 31 में लिये गये निर्णय की अनुपालना में प्रकरण अनुमोदन हेतु प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत है।


निर्णय

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 3 मार्च, 2017 के प्रस्ताव संख्या 31 में निम्नांकित संशोधन के साथ स्वीकृत किया जाता है:-

1- बिन्दु संख्या-3 "दर के संबंध में केन्द्र सरकार/ राज्य सरकार के सरकारी विभाग, दिव्यांग, पूर्व सैनिक आदि को निःशुल्क आवंटन का अधिकार जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के आयुक्त को अध्यक्ष, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की पूर्व अनुमति के साथ होगा।

प्रस्ताव संख्या 7 :: जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न आवासीय योजना के प्रारम्भ एवं लॉटरी के समय प्राधिकरण कार्यालय में स्टॉल लगाने हेतु अनुमति जारी करने के लिए शुल्क निर्धारण बाबत।

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा विभिन्न आवासीय योजनाओं के शुभारंभ एवं लॉटरी के समय प्राधिकरण में स्टॉल लगाने हेतु बैंकों द्वारा मांग की जाती है। अतः बैंक/विभिन्न संस्थाओं को उनके आवेदन पर प्राधिकरण में अस्थायी रूप से स्टॉल आवंटन हेतु दर का निर्धारण कार्यकारी समिति बैठक में निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है। उक्त स्टॉल हेतु न्यूनतम 10 फीट गुणा 10 फीट के स्थान के लिए एक दिवस (प्रातः 9.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक) के लिये न्यूनतम 1000/- शुल्क के रूप में लिये जाने हेतु प्रस्ताव अनुमोदनार्थ कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 3 मार्च, 2017 में जरिये प्रस्ताव संख्या 32 प्रस्तुत हुआ। कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 3 मार्च, 2017 में निर्णय लिया गया कि 10 फीट गुणा 10 फीट के स्थान के लिए एक दिवस प्रातः 9.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक बैंक/विभिन्न संस्थाओं को उनके आवेदन पर प्राधिकरण में अस्थायी रूप से स्टॉल/कैनोपी जो कि उनके स्वयं के द्वारा लगायी जावेगी, के लिए 2000/- रुपये प्रति दिवस की राशि शुल्क निर्धारित

2


किये जाने का निर्णय लिया गया। इस हेतु प्राधिकरण द्वारा किसी भी प्रकार का विद्युत कनेक्शन एवं अन्य सुविधा नहीं दी जावेगी।

कार्यकारी समिति के उक्त निर्णय की पुष्टि हेतु प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि दिनांक 3 मार्च, 2017 को आयोजित कार्यकारी समिति की बैठक के प्रस्ताव संख्या 32 को अनुमोदित किया जाता है।

प्रस्ताव संख्या 8 :: जोधपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में आने वाले मैरिज गार्डन के संचालन के संबंध में नियम/ विनियम/ उपनियम बनाने के क्रम में।

जोधपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में आने वाले मैरिज गार्डन/मैरिज पैलेस के संचालन के संबंध में नियम/विनियम/ उप नियम बनाने के लिए जोधपुर नगर निगम विवाह एवं समारोह स्थल की उपविधि, 2015 प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 3 मार्च, 2017 में जरिये प्रस्ताव संख्या 33 प्रस्तुत हुआ। बैठक में बाद निर्णय लिया गया कि नगर निगम, जोधपुर में प्रचलित नियम का अध्ययन कर नियम प्रस्तावित करने के लिए उप सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जाती है। उक्त कमेटी के सदस्य सचिव श्री नन्दलाल, सहायक विधि परामर्शी होंगे तथा तहसीलदार-पश्चिम, तहसीलदार-दक्षिण, मुख्य लेखाधिकारी सदस्य होंगे। उक्त समिति परीक्षण कर प्रारूप तैयार कर 7 दिवस में प्रस्तुत करेगी जिससे कि जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की आगामी बैठक में प्रारूप के संबंध में निर्णय लिया जा सके।

अतः कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 3 मार्च, 2017 के प्रस्ताव संख्या 33 में लिये गये निर्णय के क्रम में प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत जोधपुर विकास प्राधिकरण विवाह एवं समारोह स्थल का पंजीयन विनियम जो इस कार्यवाही विवरण का परिशिष्ट-2 है, का अनुमोदित करते हुए राज्य सरकार को गजट नोटिफिकेशन करवाने हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 9 :: राजस्थान लोक उपापन नियम (आर.टी.पी.पी.) के प्रावधानों को सम्मिलित करने के प्रयोजनार्थ पूर्व में अनुमत शक्तियों को त्यजित करते हुए प्राधिकरण के लिए नई शक्तियों की अनुसूची राज्य सरकार द्वारा जारी शक्तियों के अनुरूप बनाकर राजपत्र में प्रकाशनार्थ राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने के संबंध में।

कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 3 मार्च, 2017 में जरिये प्रस्ताव संख्या 37 निर्णय लिया गया कि निदेशक-वित्त राजस्थान लोक उपापन नियम के प्रावधानों को सम्मिलित करते हुए प्राधिकरण के लिए नई शक्तियों की अनुसूची तैयार कर आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण के अनुमोदन से प्राधिकरण की आगामी आयोजित होने वाली बैठक में प्रस्तुत करें।

अतः प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से राजस्थान लोक उपापन नियम के प्रावधानों के क्रम में Delegation of Powers to the officers of Jodhpur Development Authority, Jodhpur SOP effective from 1st of May 2017 जो इस कार्यवाही विवरण का परिशिष्ट-3 है, का अनुमोदन निम्नांकित संशोधन के साथ करने का निर्णय सर्व सम्मति से लिया गया तथा इसे 1 मई, 2017 से लागू करने का निर्णय लेते हुए नोटिफाई करवाने हेतु राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया:-

1- "This Schedule of Powers shall come in to force from 1st day of May 2017 upon all work orders and agreements which are live and ongoing on that day". के स्थान पर इसे "This Schedule of Powers shall come in to force from 1st day of May 2017" करने का निर्णय लिया गया।

2- Item No 29 (iii) में To whom delegated में JDC के स्थान पर Next higher authority of the Bid sanctioning authority or JDC whichever is higher करने का निर्णय लिया गया।


प्रस्ताव संख्या 10 :: आर.ओ.बी. भदवासिया के प्राईस एक्सकलेशन के भुगतान हेतु गठित दर निविदा समिति की बैठक दिनांक 23 फरवरी, 2017 में लिये गये निर्णयों के क्रम में।

लेवल कॉसिंग संख्या सी-7 के स्थान पर चार-लेन आर.ओ.बी. भदवासिया का निर्माण कार्य का कार्यदेश अनुबंध संख्या एफ.38 (04) /2011-12 के द्वारा मैसर्स राकेश कन्स्ट्रक्शन, मेहसाणा को रूपये 27,44,34,682/- का जारी किया गया था, जिसके अनुसार कार्य प्रारम्भ करने की एवं पूर्ण करने की नियत तिथि क्रमशः 18 जून, 2011 एवं 17 दिसम्बर, 2012 थी। संवेदक द्वारा निर्माण कार्य दिनांक 14 फरवरी, 2016 को पूर्ण कर दिया गया है एवं दिनांक 15 फरवरी, 2016 को माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा इसका लोकार्पण कर आमजन यातायात हेतु खोल दिया गया है। इस कार्य का समयावधि बढ़ाने का प्रकरण पूर्व में प्राधिकरण की प्रचलित तत्कालीन एस.ओ.पी. के प्रावधानों के अनुसार निविदा स्वीकृति कमेटी द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है।

अनुबंध की धारा 45 में संवेदक को मूल्य वृद्धि बिल का भुगतान करने का प्रावधान सम्मिलित है। अनुबंध की धारा 45 के अनुसार मूल्य वृद्धि बिल की गणना हेतु विभिन्न सामग्री एवं मजदूरी का ब्रेक-अप निम्नानुसार लिया गया है:-

क्र.सं.	विवरण	ब्रेक-अप (प्रतिशत में)
1-	मजदूरी	30 प्रतिशत
2-	बिटूमन	5 प्रतिशत
3-	डिजल एवं पेट्रोल	5 प्रतिशत
4-	स्टील	20 प्रतिशत
5-	सीमेंट	20 प्रतिशत
6-	अन्य सामग्री	20 प्रतिशत

धारा 45 के अनुसार मूल्य वृद्धि बिल बनाया गया है जिसकी कुल राशि रूपये 3,11,47,407/- बनती है जिसमें से संवेदक को प्रथम एवं द्वितीय मूल्य-वृद्धि बिल के रूप में

2


कमशः रूपये 61,41,208 /- एवं 1,24,39,615 /- का भुगतान किया जा चुका है एवं शेष रूपये 1,25,66,584 /- का भुगतान करना शेष है।

यह प्रकरण आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में गठित निविदा स्वीकृति कमेटी के समक्ष दिनांक 23 फरवरी, 2017 को प्रस्तुत किया गया था। जिसकी बैठक कार्यवाही विवरण जरिये क्रमांक 829 दिनांक 25 फरवरी, 2017 में लिये गये निर्णय की अनुपालना में मूल्य वृद्धि प्ररण को स्वीकृति हेतु प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 3 मार्च, 2017 के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि प्रकरण प्राधिकरण की आगामी बैठक में निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जावे। चूंकि मूल्य वृद्धि बिल का संवेदक को भुगतान नियम संगत एवं अनुबंध की धाराओं के अनुसार करना आवश्यक है। अतः समयावधि प्रकरण जो कि पूर्व में निविदा स्वीकृत कमेटी द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है एवं वर्तमान मूल्य वृद्धि प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष स्वीकृति हेतु आदेशार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय


निदेशक वित्त द्वारा प्राधिकरण सदस्यों को अवगत कराया गया कि प्राधिकरण में पूर्व प्रचलित S.O.P. (दिनांक 01.05.2017 से पूर्व) के अनुसार समयावधि वृद्धि प्रकरण की स्वीकृति आयुक्त महोदय द्वारा निविदा स्वीकृत कमेटी की अनुशंषा पर करने का प्रावधान है। आर.ओ.बी. भदवासिया के संबंध में निविदा स्वीकृत कमेटी के सदस्य निदेशक अभियांत्रिकी, निदेशक वित्त, सचिव एवं आयुक्त जोधपुर विकास प्राधिकरण है। S.O.P. के प्रावधानों के अनुरूप आर.ओ.बी. भदवासिया का समयावधि वृद्धि प्रकरण निविदा स्वीकृत कमेटी के अनुशंषा पर आयुक्त महोदय द्वारा दिनांक 27.04.2016 को स्वीकृत किया गया था। इसी S.O.P. के प्रावधानों के अनुरूप ऐसे मूल्य वृद्धि प्रकरण जिनमें समयावधि वृद्धि प्रकरण भी निहित हैं, उन्हें स्वीकृत करने के लिए आयुक्त जोधपुर विकास प्राधिकरण प्राधिकृत है। इस पर बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि उपरोक्त विवरण के प्रकाश में प्रकरण को प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

प्रस्ताव संख्या 11 :: ग्राम मौकलावास में मैसर्स सिद्धु सर्वेयर द्वारा किये गये कार्यों के भुगतान के संबंध में।

तत्कालीन आयुक्त महोदय जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा खसरा नं0 512 ग्राम मौकलावास एवं खसरा नं0 761 /22 ग्राम तिवरी हेतु कार्यालय आदेश क्रमांक 1598- 1608 दिनांक 14.09.2016 के अनुसार नई आवासीय योजना लांच करने हेतु इस कार्यालय द्वारा मैसर्स सिद्धु सर्वेयर कम्पनी, जोधपुर को कुल राशि रूपये 6,47,125/- का कार्यादेश जारी किया गया। तत्कालीन उपायुक्त पश्चिम जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा मौका पर यथास्थितिवश दिये गये कार्य को आगे बढ़ाया गया। उपरोक्त प्रकरण में सिद्धु सर्वेयर कम्पनी द्वारा प्रस्तुत बिल 16,19,284 /- का भुगतान करने हेतु प्रस्तुत किया है।

चूंकि उपरोक्त प्रकरण में पूर्व में जारी A & F प्रस्तुत बिल से 50 प्रतिशत अधिक बढ़ जाने से सिद्धु सर्वेयर कम्पनी का बिल का भुगतान किया जाना संभव नहीं था अतः प्रकरण कार्यकारी समिति बैठक दिनांक 3 मार्च, 2016 को जरिये प्रस्ताव संख्या 39 प्रस्तुत हुआ। बैठक में प्रकरण प्राधिकरण की अधिकारिता में होने से कार्यकारी समिति की अनुशंषा के साथ प्रकरण कार्यकारी समिति के प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

अतः कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 3 मार्च, 2016 में जरिये प्रस्ताव संख्या 39 लिये गये निर्णय की अनुपालना में प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत है।

2


निर्णय

अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेशक-वित्त से जानकारी ली गई कि क्या उक्त प्रकरण प्राधिकरण की अधिकारिता में आता है, यदि हाँ तो, नियम सहित स्पष्ट करें। इस पर निदेशक-वित्त कोई नियम नहीं बता सके। साथ ही निदेशक-वित्त ने यह सुझाव दिया कि प्रकरण कार्यकारी समिति को पुनः परीक्षण कर, निस्तारण हेतु भेजना उचित रहेगा। अतएव बैठक में सर्व सम्मति से प्रकरण पुनः कार्यकारी समिति में नियमान्तर्गत परीक्षण कर प्रस्तुत करने के लिए निदेशक-वित्त को निर्देशित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 12 :: प्राधिकरण क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत ग्राम नान्दडी स्थित जयपुर, जोधपुर राष्ट्रीय राज्य मांग पर एल.सी. संख्या 165 पर रेलवे ओवरब्रिज निर्माण हेतु ग्राम पूंजला की अतिरिक्त निजी खातेदारी भूमि का अधिग्रहण बाबत।

(1) प्राधिकरण क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत ग्राम नांदडी स्थित जयपुर-जोधपुर राष्ट्रीय राज्य मार्ग पर एल सी संख्या 165 पर कार्यकारी एजेन्सी इरकॉन इन्टरनेशनल लिमिटेड, जोधपुर द्वारा रेलवे ओवर ब्रीज का निर्माण करवाया जा रहा है। कार्यकारी एजेन्सी ने अपने पत्र क्रमांक 440 दिनांक 6.7.2016 द्वारा निर्माणाधीन आर ओ बी हेतु सर्विस रोड के लिये ग्राम पूंजला की अतिरिक्त निजी खातेदारी भूमि को अधिग्रहण कर हस्तान्तरण करने हेतु अवगत करवाया गया था।

(2) इस संबंध में तहसीलदार (उत्तर) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर से रिपोर्ट ली गई। रिपोर्ट अनुसार निर्माणाधीन आर ओ बी हेतु सर्विस रोड के लिये तहसील, जोधपुर के ग्राम पूंजला के खसरा संख्या 267 की निजी खातेदारी भूमि को खातेदारों से आम सहमति लेकर अधिग्रहण करने का प्रयास किया गया। जांच के दौरान जानकारी हुई कि इन खातेदार द्वारा माननीय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड संख्या 2 जोधपुर में दायर वाद संख्या 136/2016 अनवान मंगल सिंह वगैरह बनाम अरुण सांखला वगैरह तथा वाद संख्या 137/2016 वेदप्रकाश बनाम प्रबंधक इरकॉन इन्टरनेशनल लिमिटेड, जोधपुर व अन्य में आर ओ बी पुलिया निर्माण के लिये सर्विस रोड बनाने हेतु दावा प्रस्तुत किया गया तथा इन्ही खातेदारों ने नियमानुसार सर्विस रोड व माता का थान नाला निर्माण हेतु अवाप्ति के लिये माननीय न्यायालय में भी अपनी सहमति प्रदान की गई है। पटवारी (उत्तर) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर से मौका फर्द रिपोर्ट ली जाकर निर्माणाधीन आर ओ बी के पीलर संख्या 6 से 17 तक अलाईमेंट में आने वाली भूमि का चिन्हिकरण व पेमाईस कर नक्शा तैयार किया गया एवं अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल निकाल कर जानकारी दी। इसी प्रकार अधिशाषी अभियंता, आर ओ बी, कनिष्ठ अभियंता, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर जूनियर इन्जीनियर इरकॉन इन्टर नेशनल लिमिटेड, जोधपुर द्वारा हस्ताक्षरित पृष्ठांकित निर्माण हेतु भूमि का नक्शा बनाया जाकर प्रत्येक खातेदार की अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का एरिया/क्षेत्रफल वर्ग मीटर में निकाला जाकर नक्शा तैयार किया गया। अवाप्त की जाने वाली भूमि पर स्थित भौतिक संरचनाओं खातेदार अरुण कुमार पुत्र जमीनीराम की बाउण्ड्रीवॉल, कमरा/दुकान एवं सीताराम पुत्र शिवराम का 2 कमरे/दुकान का क्षेत्रफल व नक्शा बनाया गया एवं अलग से उसका मूल्यांकन करवाया जाकर इस अवार्ड में शामिल किया गया है।

(4) निम्न खातेदारों द्वारा 1- सीताराम, मंगल सिंह पिता शिवराम जाति माली सा.देह. 2-अरुण सांखला पिता जमनीराम जाति माली, सा.देह 3-ब्रहम सिंह, नेमीचंद, परसराम, छतर सिंह पिता नरसिंह जाति माली, वेदप्रकाश पिता किशनलाल जाति माली सा. देह 4-गोकल सिंह, नरपत सिंह पिता बाबूलाल, संदीप, मुकेश पिता दलपत सिंह जाति माली निवासी सा. देह इन सभी ने सर्विस रोड हेतु ग्राम पूंजला के खसरा संख्या 267 की भूमि को अधिग्रहण करने हेतु लिखित में सहमति प्रदान की तथा उक्त भूमि का भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन

में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत की जाकर इसमें दिये गये प्रावधानों के अनुसार भुगतान किये जाने का अनुरोध किया है।

(5) वर्तमान अधिनियम 2013 के तहत अधिग्रहण करने की कार्यवाही की जाती है तो कम से कम एक वर्ष से अधिक समय लगने की संभावना है। निर्माणाधीन आर ओ बी को समय पर निर्माण किया जाना आवश्यक है। अतः ग्राम पूंजला के खसरा संख्या 267 के खातेदारों को समझाईश (नेगोशिएशन) कर प्रस्तावित 1862.63 वर्ग मीटर निजी खातेदारी भूमि को प्राधिकरण अधिनियम 45 में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत अधिग्रहण किया जाना उचित समझा गया। उक्त निर्माणाधीन आर ओ बी के लिये सर्विस रोड हेतु प्रस्तावित ग्राम पूंजला के खसरा संख्या 267 की निजी खातेदारी भूमि को प्राधिकरण बैठक दिनांक 9.9.2016 को एक प्रस्ताव रखा गया एवं प्रस्ताव संख्या 5 विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से राज्य सरकार को प्रस्ताव भिजवाने हेतु अनुमोदित किया गया। इसी क्रम में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 980 दिनांक 28.9.2016 को एक प्रस्ताव बनाकर संयुक्त शासन सचिव-तृतीय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु भिजवाया गया। संयुक्त शासन सचिव-तृतीय, नगरीय विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ने अपने पत्र क्रमांक प 8 (3) नवि/1/2009 दिनांक 23.12.2016 के द्वारा उक्त प्रकरण में प्राधिकरण अधिनियम के सेक्शन 45 के अनुसार प्राधिकरण स्तर पर कार्यवाही करने हेतु निर्देश प्रदान किये गये।


(6) ग्राम पूंजला की कृषि भूमि का मूल्यांकन निर्धारण हेतु उप पंजीयक द्वितीय, जोधपुर कार्यालय से 9.9.2016 को प्रभावी बाजार मूल्य/डीएलसी दर से अवगत कराने हेतु लिखा गया उनके द्वारा बतलाई गई बाजार मूल्य/डीएलसी दर निम्नानुसार दर्शाई जा रही है।

क्र.सं.	ग्राम का नाम	असिंचित अनुमोदित प्रति बीघा दर	सड़क के पास/सड़क से दूर प्रति बीघा	वि0वि0
01	पूंजला	उच्च मार्ग पर सीधे सम्पर्क पर	उक्त मार्ग पर सीधे सम्पर्क में नहीं परन्तु उच्च मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग तथा उनको जोड़ने वाले बाईपास पर स्थित 100 मीटर तक	
		5630625.00	5630625.00	-

नोट- 1 कृषि भूमि की दरें असिंचित भूमि की दरें हैं जहां भूमि सिंचित होगी वहां पर उसी दर का दुगना कर मूल्यांकन किया जायेगा। राष्ट्रीय राज्य मार्ग पर 100 व 200 मीटर की दरों में सिंचित व असिंचित एक समान दर से मूल्यांकन किया जायेगा।

2 उक्त कृषि भूमि की दरें कृषि उपयोग में आने वाले भूमि की दरें हैं जहां पर भूमि अकृषि यानि की मौके पर आवासीय उपयोग या अन्य उपयोग उसी की दर से मूल्यांकन किया जायेगा।

(7) अतः ग्राम पूंजला के खसरा संख्या 267 रकबा 1862.63 वर्ग मीटर भूमि को प्राधिकरण अधिनियम के सेक्शन 45 में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत अधिग्रहण किया जाना है एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत वर्तमान बाजार मूल्य/डीएलसी दर के अनुसार गणना की जाकर भुगतान किया जाना प्रस्तावित है।

2


(8) भुगतान योग्य राशि का संक्षिप्त विवरण-

1	भूमि की कीमत	6478972.00
2	भौतिक संरचनाओं का मूल्यांकन	191100.00
3	पेड़ों का मूल्यांकन	-
4	योग-	6670072.00
5	100 प्रतिशत तोषण राशि	6670072.00
6	कुल योग-	13340144.00

(9) ग्राम पूंजला के खसरा संख्या 267 कुल रकबा 1862.63 वर्ग मीटर निजी खातेदारी भूमि का कुल भुगतान योग्य राशि 13340144.00 अक्षरे रूपये एक करोड़ तैतीस लाख चालीस हजार एक सौ चवालीस मात्र एतद द्वारा पारित किया जाना है।

(10) प्राधिकरण भूमि अर्जन कर्ता तहसील, जोधपुर कार्यालय से सम्पर्क कर अवाप्त भूमि का लगान राशि का चालीस गुणा राशि का चालान प्राप्त कर राजकोष में जमा करायेगे एवं चालान की एक प्रति पत्रावली में शामिल करेगे। निजी खातेदारी भूमि का कब्जा लेने के उपरांत राजस्व अभिलेख में प्राधिकरण के नाम भूमि इन्द्राज करवाने की कार्यवाही करेगें। भुगतान एजेन्सी के मार्फत भूमि के मुआवजा राशि का चैक अदायगी कर सक्षम अधिकारी भूमि का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त कर कार्यकारी एजेन्सी को भूमि का कब्जा सुपुर्द करेगे। उक्त प्रस्ताव जोधपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी बैठक दिनांक 15 मार्च, 2017 में जरिये प्रस्ताव संख्या 2 अनुमोदन हेतु प्रस्तुत हुआ। बैठक में भूमि अवाप्त कर मुआवजा जारी करने की अनुशंसा के साथ आगामी प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

अतः कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 15 मार्च, 2017 के प्रस्ताव संख्या 2 में लिये गये निर्णय की अनुपालना में प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 15 मार्च, 2017 के प्रस्ताव संख्या 2 द्वारा लिये गये निर्णय का अनुमोदन इस शर्त पर किया गया कि:-

- 1-सभी सहखातेदारों की सहमति प्राप्त की जावे, एवं
- 2-किसी भी न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन नहीं हो।

प्रस्ताव संख्या 13 :: आंगणवा में आवासीय योजना स्वीकृति करने के क्रम में।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत ग्राम आंगणवा के खसरा नं. 63/1, 243/63/1 रकबा 5 बीघा की अपनी खातेदारी भूमि मे से पट्टा जारी करने की मांग की है। पूर्व मे उपरोक्त खसरान् का ले-आउट प्लान जोनल लेवल कमेटी की बैठक दिनांक 05.04.2013 को अनुमोदित किया गया था। तत्पश्चात् प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उपरोक्त खसरान् की भूमि के पास स्थित खसरा नं. 60/1 ग्राम आंगणवा की 23 बीघा 9 बिस्वा भूमि जो राजस्व जमाबंदी अनुसार प्राधिकरण के नाम दर्ज है मे से 5 बीघा 3 बिस्वा कब्जासुदा भूमि को खसरा नं. 63/1, 243/63/1 रकबा 5 बीघा मे खसरा नं. 60/1 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा कुल 10 बीघा 3 बिस्वा भूमि का संयुक्त रूप से ले-आउट प्लान अनुमोदन कर पट्टा जारी करने हेतु निवेदन किया गया। तत्पश्चात् जोनल लेवल कमेटी की बैठक दिनांक 06.09.2013 मे खसरा नं. 60/1 की 5 बीघा 3 बिस्वा को खसरा नं. 63/1, 243/63/1 मे सम्मिलित कर कुल रकबा 10 बीघा 3 बिस्वा भूमि का ले-आउट प्लान अनुमोदित किया गया।

13

चूंकि उपरोक्त भूमि में राजकीय भूमि का खातेदारी भूमि से 103 प्रतिशत होने के कारण प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किया गया। इस संबंध में राज्य सरकार से सक्षम अनुमति भी प्राप्त नहीं हुई है। इस कार्यालय के पत्र दिनांक 31.03.2016 को राज्य सरकार पत्र प्रेषित कर खसरा नं. 60/1 ग्राम आंगणवा 5 बीघा 3 बिस्वा भूमि को प्रार्थी को आवंटन नहीं किये जाने हेतु लिखा गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजकीय भूमि खसरा नं. 60/1 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा भूमि को छोड़ते हुए ग्राम आंगणवा के खसरा नं. 63/1, 243/63/1 रकबा 5 बीघा भूमि के पट्टे जारी करने की मांग की गयी थी।

इस संबंध में आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार तहसीलदार (उत्तर) द्वारा ग्राम आंगणवा के खसरा नं. 60/1 रकबा 23 बीघा 9 बिस्वा भूमि पर से अतिक्रमण हटाकर रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी जिसमें से खसरा नं. 63/1, 243/63/1 के खातेदारान् कोजाराम पुत्र छैलाराम, देदाराम पुत्र ढगाराम, श्री राहुल पुत्र श्री मोहनलाल कटारिया की भी खसरा नं. 60/1 रकबा 5.03 बीघा कब्जासुदा भूमि भी सम्मिलित है। चूंकि खसरा नं. 60/1 रकबा 23 बीघा 9 बिस्वा भूमि राजस्व जमाबंदी अनुसार प्राधिकरण के नाम दर्ज है का ले-आउट प्लान तैयार कर नवीन योजना प्रस्तावित की जानी है। प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 15 मार्च, 2017 में जरिये प्रस्ताव संख्या 4 प्रस्तुत हुआ। बैठक में निर्णय लिया गया कि खसरा संख्या 60/1 ग्राम आंगणवा का परीक्षण कर नियमानुसार आवासीय प्रयोजनार्थ योजना तैयार कर आगामी प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

अतः कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 15 मार्च, 2017 में जरिये प्रस्ताव संख्या 4 लिये गये निर्णय की अनुपालना में प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 15 मार्च, 2017 के प्रस्ताव संख्या 4 में लिये गये निर्णय का अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव संख्या 14 :: प्राधिकरण में एन.आई.सी./ एन.आई.सी.एस.आई. द्वारा कम्प्यूटराईजेशन का कार्य करवाने बाबत।

जोधपुर विकास प्राधिकरण में NIC/NICSI द्वारा कम्प्यूटराईजेशन का कार्य फरवरी 2013 से किया जा रहा है।

NIC/NICSI भारत सरकार का विभाग है जिसका उद्देश्य सरकारी विभागों में ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देना है।

प्राधिकरण में किया गया अब तक का कम्प्यूटराईजेशन NIC/NICSI द्वारा संतोष जनक रहा है। वर्तमान में प्राधिकरण में मुख्यमंत्री जन आवास योजना के ऑनलाईन आवेदन का कार्य, ऐक्शन जोधपुर मोबाईल एप्प, ऑनलाईन सर्विजेज (मानचित्र स्वीकृति, लीज मुक्ति प्रमाण पत्र, नाम हस्तांतरण, बेचान अनुमति, अनापत्ति प्रमाण पत्र), प्रोपटी रजिस्टर, नागरिक सुविधा केन्द्र, फाईल ट्रेकिंग सिस्टम, कम्प्यूटराईज लॉटरी, अकाउण्ट सिस्टम, स्केनिंग आदि महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर कार्य किया जा रहा है। प्राधिकरण में उपरोक्त कम्प्यूटराईजेशन कार्य हेतु सालाना 150 लाख का बजट प्रोविजन है।

NIC/NICSI द्वारा वर्तमान में द्वितीय प्रोजेक्ट प्रोपजल (अक्टुबर 2015 से अक्टुबर 2018) के अनुसार कार्य किया जा रहा है। जिसमें NIC/NICSI द्वारा प्राप्त वार्षिक Performa Invoice अनुसार अग्रिम भुगतान किया जाता है।

अतः उपरोक्त कार्य अक्टूबर 2018 तक NIC/NICSI के मध्यम से करवाने का प्रस्ताव कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 15 मार्च, 2017 में जरिये प्रस्ताव संख्या 8 प्रस्तुत हुआ। जिसमें निर्णय लिया गया कि एन.आई.सी. अधिकारी श्री रवि माथुर, प्रमुख प्रणाली विश्लेषक राष्ट्रीय सूचना – विज्ञान केन्द्र द्वारा चल रहे जेडीए कम्प्यूटराईजेशन के संबंध में वार्ता की गयी। जिसमें उन्होंने अवगत करवाया कि चल रहे प्राजेक्ट का भुगतान अक्टूबर, 2016 तक ही किया गया था जिसके पश्चात् आज दिनांकतक भुगतान नहीं किया गया।

कार्यकारी समिति की बैठक में वार्ता की गयी जिसमें यह निश्चित किया गया कि 40 लाख का भुगतान किया जाये। लेकिन बिना प्रफोर्मा इनवाइस भुगतान किया जाना संभव नहीं है। अतः इसके लिए 1 नवम्बर, 2016 से 31 मार्च, 2017 तक की प्रफोर्मा इनवाइस एन.आई.सी. एस.आई. द्वारा जारी की जानी है तथा उसके प्रफोर्मा इनवाइस की राशि के अनुसार ही भुगतान किया जाएगा।

चूंकि एन.आई.सी.एस.आई. से नवम्बर, 2016 से चालू माह मार्च, 2017 तक कार्य करवाया गया है अतएव यह निर्णय लिया गया कि प्रदत्त सेवाओं के लिए 1 नवम्बर, 2016 से 31 मार्च, 2017 तक एन.आई.सी.एस.आई. प्रफोर्मा इनवाइस मंगवाकर भुगतान किया जावे परन्तु साथ ही 1 अप्रैल, 2017 से सतत् सेवाओं के लिए पृथक से एजेण्डा नोट प्राधिकरण की बैठक में रखा जाये। एन.आई.सी.एस.आई. की मार्फत ली जाने वाली सेवाओं के अनुरूप समान कार्य की वेतन/ मानदेव विसंगति नहीं हो एवं विशेषज्ञ सेवा तथा साफ्टवेयर विकास एवं उन्नयन से संबंधित कार्य भी बाधित नहीं हो, प्रस्ताव तैयार किया जाकर वर्ष 2017-18 (1-4-2017 से 31-3-2018) तक प्रस्तावना रखी जाये।

अतः कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 15 मार्च, 2017 के प्रस्ताव संख्या 8 में लिये गये निर्णय की अनुपालना में प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि NIC/NICSI द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव कुल राशि रूपये 90.24 लाख रूपये का समयावधि 1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक के लिए अनुमोदन किया जाता है। जो निम्नानुसार है:-

Project Proposal for the period : 1st April, 2017 to 31st March, 2018

As per Proforma Invoice

Sr No	Sub Configuration/ Description	Quantity	Months	Per Month (Rs.)	Total Price (Rs.)
1-	Senior Software Developer	1	12	44,890.49	538,685.88
	Software Developer	3	12	26,778.37	964,021.32
2-	Database Administration Support	9	12	31,129.58	3361,994.64
3-	Rollout Support Level 1	13	12	16,827.21	2625,044.76
4-	Rollout Support Level 4	1	12	29,790.71	357,488.52
				(i) Total	7847,235.12
				(ii) Service Tax payable @ 14.00 % on (i)	1098,612.91
				Swachh Bharat Cess @ 0.5%	39,236.17
				Krishi Kalyan Cess @ 0.5%	39,236.17
				Gross Amount Payable	9024,320.37

राज्य सरकार के वित्त विभाग के आदेश संख्या प.1 (1) वित्त/ साविलेनि/ 2007 दिनांक 17 मई, 2012 द्वारा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के भाग-11 में संशोधन किया गया है। जिसका बिन्दु संख्या 4 निम्नानुसार है:-

4- The existing Rules 32 (A) of GF&AR Part-II shall be substituted as under:-

"Rule 32 (A) : Normally the procurement of goods and services relating to IT and e-governance of Government departments shall be carried out after inviting open tenders. However, department may get the work done without calling tender through DoIT&C/ RISL/ NIC/ NICS on single source citing the reasons for the same."

प्रस्ताव संख्या 15 :: अग्निकाण्ड में नष्ट हुई पत्रावलियों की डुप्लीकेट पत्रावली बनवाने बाबत।

दिनांक 4 अगस्त, 2016 को प्रातः 5.00 बजे प्राधिकरण कार्यालय के अभिलेख शाखा के कक्ष में अग्निकाण्ड हुआ, जिसकी जांच उपसचिव जोविप्रा जोधपुर के नेतृत्व में एक टीम गठित कर उक्त अग्निकाण्ड की जांच करवायी गयी। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त अग्निकाण्ड में आग जानबूझकर लगाया जाना प्रतीत नहीं होता है।


ऐसी पूर्णतय नष्ट हुई 1908 पत्रावलियां एवं आंशिक रूप से 2881 कुल लगभग 4989 पत्रावलियां पायी गयी एवं 90-ए की ऐसी पत्रावलियां जो पानी से भीग चुकी है कुल 2391 पत्रावलियां है। उक्त अग्निकाण्ड में जल /नष्ट हो चुकी है का डुप्लीकेट पत्रावलियां तैयार करवाया जाना प्रस्तावित है।

अतः इस आशय का समाचार पत्र में विज्ञप्ति जारी कर सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की जावे की संबंधित आवेदकों से पूर्व में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों की जिनकी पत्रावलियां जल चुकी है उनसे दस्तावेजों की फोटो प्रति प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाकर नयी डुप्लीकेट पत्रावलियां संधारित किया जाना उचित होगा। प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 15 मार्च, 2017 में जरिये प्रस्ताव संख्या 13 प्रस्तुत हुआ। जिसमें निर्णय लिया गया कि आंशिक रूप से नष्ट/खराब हुई पत्रावलियां जिनकी सूची के अनुसार संख्या 2881 है, जिनकी प्रमाणित सूची पत्रावली में संलग्न है, के संबंध में डुप्लीकेट पत्रावली बनाकर अग्रिम कार्यवाही की जावे एवं प्रकरण को अनुशांषा सहित प्राधिकरण बैठक में अनुशांषा सहित रखा जावे। शेष ऐसी पत्रावलियां जो पूर्णतः नष्ट हुई है, उनकी भी सूची तैयार कर आगामी कार्यकारी समिति की बैठक में उपरोक्तानुसार अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जावे।

अतः कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 15 मार्च, 2017 में जरिये प्रस्ताव संख्या 13 लिये गये निर्णय की अनुपालना में प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 15 मार्च, 2017 में जरिये प्रस्ताव संख्या 13 लिये गये निर्णय के अनुरूप आंशिक रूप से नष्ट/ खराब हुई पत्रावलियां जिनकी संख्या 2881 है के संबंध में डुप्लीकेट पत्रावलियां बनाकर अग्रिम कार्यवाही की जावे। अध्यक्ष महोदय नरे निर्देश प्रदान किये कि भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए ठोस कदम उठाए व इस हेतु निदेशक-अभियांत्रिकी, अधिशाषी अभियन्ता-मुख्याल एवं अधिशाषी अभियन्ता-विद्युत इसको सुनिश्चित करेंगे।

2


प्रस्ताव संख्या 16 :: ग्राम जोधपुर के खसरा संख्या 677 में जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की नवीन आवासीय योजना लांच करने बाबत।

राजस्व रेकॉर्ड अनुसार ग्राम जोधपुर का खसरा संख्या 677, रकबा 167-05 बीघा, किस्म गै.मु. आबादी, वर्तमान में प्राधिकरण के नाम दर्ज है। प्राधिकरण के तहसीलदार एवं पटवारी से रेकॉर्ड एवं मौके की अद्यतन रिपोर्ट प्राप्त की गई। मुताबिक रिपोर्ट आवंटन आवंटन शाखा से प्राप्त सूची अनुसार उक्त खसरे में से लगभग 105 बीघा भूमि विभिन्न विभागों को आवंटित की जा चुकी है। उक्त खसरे में विभिन्न विभागों को भूमि आवंटन के पश्चात् लगभग 62 बीघा भूमि प्राधिकरण के खाते में शेष रहती है। तहसीलदार व पटवारी ने वर्तमान मौका-स्थिति अनुसार मौके पर लगभग 40-45 बीघा भूमि रिक्त उपलब्ध बताया है। उक्त भूमि एक जगह उपलब्ध न होकर 2-3 जगह टुकड़ों में उपलब्ध है, जिस पर बबूल वगैरह ऊगे हुए हैं। एक-दो जगह अतिक्रमण भी है। उपरोक्त अतिक्रमणों को हटाये जाने हेतु तथा इस खसरे में साफ-सफाई करवाने व मौके पर ऊगे हुए बबूल, झाड़ियों इत्यादि को हटाने हेतु सम्बन्धित तहसीलदार व अधिशाषी अभियन्ता को निर्देशित किया जा चुका है। प्राधिकरण की आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार मास्टर प्लान 2023 के अनुसार आवेदित स्थल का भू-उपयोग आवासीय एवं उत्तर दिशा का पार्ट सरकारी आरक्षित क्षेत्र हेतु आरक्षित है। प्राधिकरण द्वारा यदि इस भूमि पर कोई आवासीय कॉलोनी काटकर अथवा नीलामी के जरिये विक्रय किया जावे, तो प्राधिकरण को अच्छी आय प्राप्त हो सकती है। अतः उक्त भूमि पर प्राधिकरण की आवासीय योजना लांच किये जाने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 15 मार्च, 2017 में प्रस्तुत हुआ। बैठक में निर्णय लिया गया कि उपरोक्तानुसार प्राधिकरण आयोजना शाखा की रिपोर्ट के अनुसार खसरा संख्या 677 रकबा 167-05 बीघा किस्म गैर मुमकिन आबादी में से 45 बीघा भूमि रिक्त है एवं मास्टर प्लान में आवेदित स्थल उपरोक्त स्थल का भू-उपयोग आवासीय एवं उत्तर दिशा में पार्ट सरकारी आरक्षित क्षेत्र हेतु आरक्षित है। लिहाजा बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्राधिकरण द्वारा आवासीय भू-उपयोग क्षेत्र के लिए आवासीय योजना तैयार कर आगामी प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत करने की अनुशंसा की गई।

अतः कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 15 मार्च, 2017 जरिये प्रस्ताव संख्या 17 लिये गये निर्णय की अनुपालना में प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत है।


निर्णय

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 5 मार्च, 2017 के प्रस्ताव संख्या 17 को अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 17 :: विवेक विहार योजना में 33 के.वी. के 3 जी.एस.एस. एवं 132 के. वी. के एक जी.एस.एस. हेतु विवेक विहार योजना में निःशुल्क भूमि आवंटन।

प्राधिकरण की विवेक विहार योजना में विधुतीकरण के कार्य हेतु योजना के सेक्टर-‘सी’, ‘ई’ व ‘जे’ में जी.एस.एस. हेतु आरक्षित भूमियां 33/11 केवी एवं सेक्टर ‘जे’ में ओसीएफ हेतु आरक्षित 7908.87 वर्गमीटर भूमि में से 5000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने की मांग की गई। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

2-



क्र.स	सेक्टर	भूमि का आरक्षित प्रकार	मौके पर आरक्षित भूमि का क्षेत्रफल	आवंटन नीति-2015 के तहत प्रेषित किये गये प्रस्ताव में क्षेत्रफल
1.	सी	जी.एस.एस. हेतु आरक्षित	1432.00 वर्गमीटर	1000 वर्गमीटर
2.	ई	जी.एस.एस. हेतु आरक्षित	1812.00 वर्गमीटर	1000 वर्गमीटर
3.	जे	जी.एस.एस. हेतु आरक्षित	1674.80 वर्गमीटर	1000 वर्गमीटर
4.	जे	जी.एस.एस. हेतु आरक्षित	7908.87 वर्गमीटर	5000 वर्गमीटर


नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के पत्र क्रमांक प.3(208) नविवि/3/95 पार्ट जयपुर दिनांक 06.08.2009 के अनुसार राज्य के स्वामित्व वाले पॉवर टर्मिनर्स व विद्युत वितरण कम्पनियों को भूमि उक्त क्षेत्र की प्रचलित आवासीय आरक्षित दर की 50 प्रतिशत दर पर आवंटित की जावें। प्राधिकरण के अधिशाषी अभियंता (विद्युत) की नोटशीट पर टिप्पणी के अनुसार जे.वी.वी.एन.एल. के आदेश क्रमांक 1220 दिनांक 05.07.2011 के अनुसार 33/11 के.वी. जी.एस.एस. हेतु 1000 वर्गमीटर एवं 132/33 के.वी. जी.एस.एस. हेतु 5000 वर्गमीटर भूमि की आवश्यकता होती है एवं उपरोक्त भूमियां विद्युत विभाग को निःशुल्क आवंटन हेतु प्रस्तावित की गई है। तीन 33/11 के.वी. जी.एस.एस. एवं एक 132/33 के.वी. जी.एस.एस. का निर्माण हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बैठक में विचार विमर्श के दौरान ये तथ्य प्रस्तुत किया गया कि नगरीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक प.3(208) नविवि/3/95 दिनांक 06.08.2009 के अनुसार राजकीय स्वामित्व वाले पॉवर टर्मिनर्स व विद्युत वितरण कम्पनियों को भूमि उक्त क्षेत्र की प्रचलित आवासीय आरक्षित दर की 50 प्रतिशत दर पर आवंटन किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। इसी प्रकार मुख्य अभियंता (मुख्यालय), जोधपुर डिस्कॉम के आदेश क्रमांक जे.डी.वी.वी.एन.एल./एमडी/सीई (हेड)/एसई (आरए एण्ड सी) जेयू/2011-12/डी.1220 दिनांक 5 जुलाई 2011 के बिन्दु संख्या 6 में अंकित किया गया है कि जी.एस.एस. के निर्माण हेतु भूमि विकासकर्ता/कॉलोनाईजर/स्थानीय निकाय विभाग द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई जावें। ऐसी स्थिति में जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं नगरीय विकास विभाग के पत्रों में दर को लेकर विरोधाभाषी स्थिति है।

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 26.08.2015 के प्रस्ताव संख्या 13 के अंतर्गत दोनो परिपत्रों का हवाला देकर प्रकरण सम्पूर्ण वस्तुस्थिति के साथ राज्य सरकार को प्रेषित किया जाकर मार्गदर्शन प्राप्त किया जावें कि जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के उक्त परिपत्र अनुसार 33 के.वी. जी.एस.एस. के निर्माण हेतु 1000 वर्गमीटर एवं 132 के.वी. जी.एस.एस. हेतु 5000 वर्गमीटर भूमि की आवश्यकता होती है, उक्त निर्धारित सीमा से अधिक भूमि विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को किस दर पर आवंटित की जावें इस संबंध में भी नगरीय विकास विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त किया जाकर अधिक क्षेत्र की भूमि के आवंटन की स्वीकृति प्राप्त की जावे।

मार्गदर्शन के संबंध में नगरीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक प. 1(58)नविवि/जोधपुर/2015 जयपुर दिनांक 03.5.2016 के अनुसार नवीन आवंटन नीति के तहत प्रस्ताव प्राप्त कर, परीक्षण कर प्रस्ताव अभिमत सहित भिजवाने के निर्देश है। अतः विद्युत विभाग से नवीन आवंटन नीति-2015 के तहत निर्धारित प्रपत्र "स" भरकर प्रस्ताव मंगवाया गया है, तथा नवीन आवंटन नीति के तहत प्रकरण का परीक्षण कर लिया है।

अधिशाषी अभियंता (बी-जोन) जो.वि.वि.नि.लि. जोधपुर द्वारा पत्र क्रमांक अधिशाषी अभियंता/ बी-जोन/जोधपुर/प्रेषित/3265 दिनांक 4.3.2016 के द्वारा जी.एस.एस. के निर्माण हेतु जनहित में निःशुल्क भूमि आवंटन की मांग की गई है।

2


प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 27.06.2016 के प्रस्ताव संख्या 4 के अंतर्गत वर्णित भूमि वाणिज्यिक आरक्षित दर पर आवंटन करने की प्राधिकरण की अनुशंसा के साथ प्रकरण राज्य सरकार को आवंटन की स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

संयुक्त शासन सचिव-तृतीय नगरीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक प. 1(58)नविवि/जोधपुर/2015 दिनांक 11.08.2016 के द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में वाणिज्यिक आरक्षित दर पर भूमि आवंटन करने हेतु राज्य सरकार की अनुमति अपेक्षित नहीं होने के कारण जोधपुर विकास प्राधिकरण के स्तर पर निर्णय लिये जाने के आदेश प्रदत्त है। जिसकी पालना में प्राधिकरण के पत्र क्रमांक 800 दिनांक 06.12.2016 के द्वारा डिस्कॉम से वाणिज्यिक आरक्षित दर पर आवंटन हेतु डिस्कॉम की सहमति पेश करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। डिस्कॉम का प्रतिउत्तर अप्राप्त है।

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम नगरीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक एफ. 3(55)नविवि/3/2002 जयपुर दिनांक 25.11.2016 के आदेश द्वारा राजकीय विभागों को उनके कार्यालय, इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु 1000 वर्गमीटर तक निःशुल्क भूमि आवंटन हेतु विकास प्राधिकरणों/निकायों/न्यासों/नगरीय निकायों को शक्तियां प्रत्यायोजित किये जाने के आदेश प्रदत्त है एवं उपरोक्त सीमा से अधिक आवंटन की स्थिति में प्रस्ताव में औचित्य के राज्य सरकार के स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने का आदेश प्रदत्त है।

डिस्कॉम द्वारा भी आवंटन नीति-2015 के प्रावधानों के अनुरूप विद्युतीकरण कार्य करने हेतु 33/11 के.वी. के तीन जी.एस.एस. 1000 वर्गमीटर तक एवं 132/33 के.वी का एक सबस्टेशन 5000 वर्गमीटर तक प्रस्ताव प्राधिकरण कार्यालय में प्रेषित किया गया है।

अधिशाली अभियंता (विद्युत) जोविप्रा द्वारा अवगत कराया कि विद्युत विभाग द्वारा सशुल्क भूमि लेने में असहमति पेश की गई है।

विद्युत विभाग द्वारा 33 के.वी. के तीन जी.एस.एस. हेतु 1000 वर्गमीटर प्रति जी.एस.एस. एवं 132 के.वी. के एक जी.एस.एस. हेतु 5000 वर्गमीटर तक भूमि के आवंटन एवं दर-निर्धारण हेतु प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है। उक्त एजेण्डा आयुक्त महोदय से अनुमोदित है। प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 3 मार्च, 2017 में जरिये प्रस्ताव संख्या 24 प्रस्तुत हुआ। बैठक में निर्णय लिया गया कि बैठक में उपस्थित विद्युत विभाग के प्रतिनिधि ने निःशुल्क भूमि आवंटन हेतु निवेदन किया और वाणिज्यिक दरों पर आवंटन प्रस्ताव पर असहमति जाहिर की। बैठक में बाद विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के परिपत्र 2011 एवं नगरीय विकास विभाग के पत्र 2009 का विवरण अंकित करते हुए प्रकरण राज्य सरकार को आवंटन की अनुशंसा सहित भिजवाया जावे।

अतः प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बाद विचार विमर्श के दौरान यह प्रकट हुआ कि उपरोक्त प्रस्ताव के क्रम में डिस्कॉम जोधपुर द्वारा विवेक विहार योजना में निम्नलिखित भूमियों के आवंटन की मांग की गयी है। जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

2
19

क्र.स	सेक्टर	भूमि का आरक्षित प्रकार	मौके पर आरक्षित भूमि का क्षेत्रफल	आवंटन नीति-2015 के तहत प्रेषित किये गये प्रस्ताव में क्षेत्रफल
1.	सी	जी.एस.एस. हेतु आरक्षित	1432.00 वर्गमीटर	1000 वर्गमीटर
2.	ई	जी.एस.एस. हेतु आरक्षित	1812.00 वर्गमीटर	1000 वर्गमीटर
3.	जे	जी.एस.एस. हेतु आरक्षित	1674.80 वर्गमीटर	1000 वर्गमीटर
4.	जे	जी.एस.एस. हेतु आरक्षित	7908.87 वर्गमीटर	5000 वर्गमीटर


डिस्कॉम जोधपुर द्वारा उक्त भूमियों का उपयोग विवेक विहार योजना एवं अन्य योजनाओं के लिए किया जावेगा। नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक प. 3 (208) नविवि/3/95 पार्ट जयपुर दिनांक 6 अगस्त, 2009 के अनुसार राज्य सरकार के स्वामित्व वाले पॉवर टर्मिनल व विद्युत वितरण कम्पनियों को भूमि उक्त क्षेत्र की प्रचलित आवासीय दर के 50 प्रतिशत दर पर आवंटन की जावे। चूंकि विद्युत विभाग ने प्राधिकरण योजना में एवं योजना क्षेत्र में काम में आने के कारण सशुल्क आवंटन की सहमति नहीं दी है। लिहाजा प्राधिकरण के हित को देखते हुए प्रकरण में निःशुल्क आवंटन के लिए राज्य सरकार को प्रकरण भिजवाने का बैठक में सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 18 :: सरकारी कार्यालयों व संस्थाओं को जोधपुर विकास प्राधिकरण की भूमि आवंटन के संबंध में प्रस्ताव

क्र.स.	प्रयोजनार्थ	ग्राम व ग्राम पंचायत	खसरा संख्या	रकबा	किस्म	आवेदित क्षेत्रफल	25 नवम्बर 2016 के आदेशानुसार जोविप्रा द्वारा अधिकतम निःशुल्क आवंटन योग्य क्षेत्रफल नवीन आवंटन नीति 2015 के तहत शैक्षणिक, सामुदायिक केन्द्र तथा शमशान/कब्रिस्तान हेतु भूमि आवंटन का मापदंड	भूमि जोविप्रा के खाते में है अथवा नहीं	मास्टर प्लान के अनुसार भू-उपयोग व उक्त आवंटन हेतु अनुमति के संबंध में टिप्पणी (निदेशक आयोजना)
1.	जी.एल. आर एवं क्वाटर निर्माण	मोडी जोशियांन	34	437-05	गैर मु. गोचर	1000 वर्गमीटर	1000 वर्गमीटर	-	जो वि प्रा के नाम दर्ज है। 72 गांव बाहर परिपत्र दिनांक 08. 02.2017 के अनुसार या प्लान-2023 अनुरूप कार्यवाही की जानी है उक्त भूमि या प्लान-2023 से बाहर स्थित है।
2.	जी.एल. आर एवं क्वाटर निर्माण	फिटकासन ी	112	35-05	गैर मु. गोचर	5 बीघा	1000 वर्गमीटर	-	जो वि प्रा के नाम दर्ज है। 72 गांव बाहर परिपत्र दिनांक 08. 02.2017 के अनुसार या प्लान-2023 अनुरूप कार्यवाही की जानी है उक्त भूमि या प्लान-2023 से बाहर स्थित है।
3.	जी.एल. आर एवं क्वाटर निर्माण	विसलपुर	1109	199-10 बीघा	गैर मु. गोचर	1-10 बीघा	1000 वर्गमीटर	-	जो वि प्रा के नाम दर्ज है। 72 गांव बाहर परिपत्र दिनांक 08. 02.2017 के अनुसार या प्लान-2023 अनुरूप कार्यवाही की जानी है उक्त भूमि या प्लान-2023 से बाहर स्थित है।
4.	पी एच ई डी भवन हेतु	फिच	320	53-08 बीघा	गैर मु. गोचर	2 बीघा	1000 वर्गमीटर	-	जो वि प्रा के नाम दर्ज है। 72 गांव बाहर परिपत्र दिनांक 08. 02.2017 के अनुसार या प्लान-2023 अनुरूप कार्यवाही की जानी है उक्त भूमि या प्लान-2023 से बाहर स्थित है।
5.	पी एच ई डी भवन	फिच	473	69.16 बीघा	गैर मु. गोचर	5 बीघा	1000 वर्गमीटर	-	जो वि प्रा के नाम दर्ज है। 72 गांव बाहर परिपत्र दिनांक 08.

(Handwritten signature)

	हेतु								नाम दर्ज है।	02.2017 के अनुसार या प्लान-2023 अनुरूप कार्यवाही की जानी है उक्त भूमि या प्लान-2023 से बाहर स्थित है।
6	जन परियोजना हेतु भूमि आवंटन	मेलाणा	299		गैर मु मगरा	3 बीघा	1000 वर्गमीटर	-	जो वि प्रा के नाम दर्ज है।	72 गांव बाहर परिपत्र दिनांक 08. 02.2017 के अनुसार या प्लान-2023 अनुरूप कार्यवाही की जानी है उक्त भूमि या प्लान-2023 से बाहर स्थित है।
7	जन परियोजना हेतु भूमि आवंटन	लेवरा खुर्द	489		गैर मु ताल	3 बीघा	1000 वर्गमीटर	-	जो वि प्रा के नाम दर्ज है।	72 गांव बाहर परिपत्र दिनांक 08. 02.2017 के अनुसार या प्लान-2023 अनुरूप कार्यवाही की जानी है उक्त भूमि या प्लान-2023 से बाहर स्थित है।
8.	पी एच ई डी स्वच्छ जलाशय निर्माण हेतु	बासनी तम्बोलियान	2		गैर मु पहाड	50 गुणा 50 फिट	1000 वर्गमीटर	-	जो वि प्रा के नाम दर्ज है।	आवासीय एवं आशिक पहाडी क्षेत्र
9	जी एस एस	डांगियावास	546	68-14 बीघा	गैर मुमकीन गोचर	2 बीघा	1000 वर्गमीटर		जो वि प्रा के नाम दर्ज है।	72 गांव बाहर परिपत्र दिनांक 08. 02.2017 के अनुसार या प्लान-2023 अनुरूप कार्यवाही की जानी है उक्त भूमि या प्लान-2023 से बाहर स्थित है।
10	33/11 केवी जी एस एस	खारा बेरा पुरोहितान	192	7-05 बीघा	गैर मुमकीन बारानी होर	7-05 बीघा	1000 वर्गमीटर		जो वि प्रा के नाम दर्ज है।	72 गांव बाहर परिपत्र दिनांक 08. 02.2017 के अनुसार या प्लान-2023 अनुरूप कार्यवाही की जानी है उक्त भूमि या प्लान-2023 से बाहर स्थित है।
11	33/11 केवी जी एस एस	पलासनी	201/2	12 बीघा	गैर मुमकीन आबादी	2 बीघा	1000 वर्गमीटर		जो वि प्रा के नाम दर्ज है।	72 गांव बाहर परिपत्र दिनांक 08. 02.2017 के अनुसार या प्लान-2023 अनुरूप कार्यवाही की जानी है उक्त भूमि या प्लान-2023 से बाहर स्थित है।
12	विद्युत घर भवन हेतु	ग्राम पंचायत फीच भाटियाना डा	473	69.16 बीघा	गे.मु गोचर	5 बीघा	1000 वर्गमीटर		जो वि प्रा के नाम दर्ज है।	72 गांव बाहर परिपत्र दिनांक 08. 02.2017 के अनुसार या प्लान-2023 अनुरूप कार्यवाही की जानी है उक्त भूमि या प्लान-2023 से बाहर स्थित है।
13	33/11 केवी सब स्टेशन हेतु	नारवा	17	23.05 बीघा	गैर मु आगोर	2 बीघा	1000 वर्ग मीटर		जो वि प्रा के नाम दर्ज है।	72 गांव बाहर परिपत्र दिनांक 08. 02.2017 के अनुसार या प्लान-2023 अनुरूप कार्यवाही की जानी है उक्त भूमि या प्लान-2023 से बाहर स्थित है।
14	33/11 केवी सबस्टेशन हेतु	जोगी मगरा भैसर कुतरी	155	21.14 बीघा	बारानी-तृतीय	1000 वर्ग मीटर	1000 वर्ग मीटर		जो वि प्रा के नाम दर्ज है।	72 गांव बाहर परिपत्र दिनांक 08. 02.2017 के अनुसार या प्लान-2023 अनुरूप कार्यवाही की जानी है उक्त भूमि या प्लान-2023 से बाहर स्थित है।

2


15	33/11 केवी जी एस एस निर्माण हेतु	पूिनियो की प्याऊ	235/4	14.03 बीघा	गैर मुमकीन गोचर	1 बीघा	1000 वर्ग मीटर		जो वि प्रा के नाम दर्ज है।	72 गांव बाहर परिपत्र दिनांक 08. 02.2017 के अनुसार या प्लान-2023 अनुरूप कार्यवाही की जानी है उक्त भूमि या प्लान-2023 से बाहर स्थित है।
16	33 केवी सब स्टेशन सरकारी बेरा, डिगाडी	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड सरकारी बेरा, डिगाडी	23/6		गैर मु. मार्ग	100 गुणा 100	1000 वर्ग मीटर		जो वि प्रा के नाम दर्ज है।	तरमीन नक्शा उपलब्ध नहीं होने से भू-उपयोग संभव नहीं है।
17	33 /11 केवी सब स्टेशन ग्राम सालवा कुला बिजली घर हेतु	सालवाक लां	327		गोचर	5 बीघा	1000 वर्ग मीटर		जो वि प्रा के नाम दर्ज है।	72 गांव बाहर परिपत्र दिनांक 08. 02.2017 के अनुसार या प्लान-2023 अनुरूप कार्यवाही की जानी है उक्त भूमि या प्लान-2023 से बाहर स्थित है।
18	उप स्वास्थ्य केन्द्र	ग्राम नान्दडा खुर्द	71	2-16 बीघा	बारांनी- 3	2-10 बीघा (4046.72 व.मी.)	500 वर्गमीटर		जो वि प्रा के नाम दर्ज है।	परिधि नियंत्रण पट्टी में स्थित है।
19	उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन हेतु	राजवा	225	467.16 बीघा	गैर मु पहाड	2 बीघा	500 वर्ग मीटर		जो वि प्रा के नाम दर्ज है।	72 गांव बाहर परिपत्र दिनांक 08. 02.2017 के अनुसार या प्लान-2023 अनुरूप कार्यवाही की जानी है उक्त भूमि या प्लान-2023 से बाहर स्थित है।
20	सरपंच ग्राम पंचायत	उप स्वास्थ्य केन्द्र हेतु	उजालिय I	51	मगरा	5 बीघा	1000 वर्ग मीटर		जो वि प्रा के नाम दर्ज है।	72 गांव बाहर परिपत्र दिनांक 08. 02.2017 के अनुसार या प्लान-2023 अनुरूप कार्यवाही की जानी है उक्त भूमि या प्लान-2023 से बाहर स्थित है।
21	ग्राम पंचायत भवन	बडली	खसरा संख्या 88	3306.18 बीघा	गैर मुमकिन छितर	1000 वर्ग मीटर	1000 वर्गमीटर		जो वि प्रा के नाम दर्ज है।	मास्टर प्लान 2023 के अनुसार वर्णित भूमि परिधि नियंत्रण पट्टी हेतु आरक्षित है।
22	अटल सेवा केन्द्र बडलिया	बडलिया	63	324.11	गैर मु गोचर	1 बीघा	1000 वर्गमीटर		जो वि प्रा के नाम दर्ज है।	72 गांव बाहर परिपत्र दिनांक 08. 02.2017 के अनुसार या प्लान-2023 अनुरूप कार्यवाही की जानी है उक्त भूमि या प्लान-2023 से बाहर स्थित है।
23	ग्राम पंचायत भवन	बडलिया	63	324.11	गैर मु गोचर	1 बीघा	1000 वर्गमीटर		जो वि प्रा के नाम दर्ज है।	72 गांव बाहर परिपत्र दिनांक 08. 02.2017 के अनुसार या प्लान-2023 अनुरूप कार्यवाही की जानी है उक्त भूमि या प्लान-2023 से बाहर स्थित है।
24	ग्राम पंचायत भवन	घाधियां	185	40.17 बीघा	बारांनी प्रथम	5 बीघा	1000 वर्गमीटर		जो वि प्रा के नाम दर्ज है।	72 गांव बाहर परिपत्र दिनांक 08. 02.2017 के अनुसार या प्लान-2023 अनुरूप कार्यवाही की जानी है उक्त भूमि या प्लान-2023 से बाहर स्थित है।
25	ग्राम	ग्राम	164	30.10	गैर मु	5 बीघा	1000		जो वि	72 गांव बाहर

2



	पंचायत भवन	मेहलावास ग्राम पंचायत कालीजाल			गोचर		वर्गमीटर		प्रा के नाम दर्ज है।	परिपत्र दिनांक 08.02.2017 के अनुसार या प्लान-2023 अनुरूप कार्यवाही की जानी है उक्त भूमि या प्लान-2023 से बाहर स्थित है।
26	ग्राम पंचायत भवन	काकाणी	797	5.19 बीघा	बासनी 4	5 बीघा	1000 वर्गमीटर		जो वि प्रा के नाम दर्ज है।	72 गांव बाहर परिपत्र दिनांक 08.02.2017 के अनुसार या प्लान-2023 अनुरूप कार्यवाही की जानी है उक्त भूमि या प्लान-2023 से बाहर स्थित है।
27	ग्राम पंचायत भवन	ग्राम बासनी झूठा व ग्राम पंचायत सरेचा	88/2	185.03	गैर मु गोचर	1 बीघा	1000 वर्गमीटर		जो वि प्रा के नाम दर्ज है।	72 गांव बाहर परिपत्र दिनांक 08.02.2017 के अनुसार या प्लान-2023 अनुरूप कार्यवाही की जानी है उक्त भूमि या प्लान-2023 से बाहर स्थित है।
28	पटवार भवन	ग्राम मोगडाकल	213	123.09	गैर मु ओरण	1.05 बीघा	1000 वर्गमीटर		जो वि प्रा के नाम दर्ज है।	परिधि नियंत्रण पट्टी में स्थित है।
29	पंचायत भवन हेतु	बडला नगर	1154/2	14.04 बीघा	ओरण	5 बीघा	1000 वर्ग मीटर		जो वि प्रा के नाम दर्ज है।	72 गांव बाहर परिपत्र दिनांक 08.02.2017 के अनुसार या प्लान-2023 अनुरूप कार्यवाही की जानी है उक्त भूमि या प्लान-2023 से बाहर स्थित है।
30	अटल सेवा केन्द्र हेतु	चावंडा	71	176.09 बीघा	गैर मु गोचर	10 बीघा	1000 वर्ग मीटर		जो वि प्रा के नाम दर्ज है।	72 गांव बाहर परिपत्र दिनांक 08.02.2017 के अनुसार या प्लान-2023 अनुरूप कार्यवाही की जानी है उक्त भूमि या प्लान-2023 से बाहर स्थित है।
31	पंचायत भवन एवं अन्य सरकारी भवन हेतु	चावंडा	71	176.09 बीघा	गैर मुमकीन गोचर	10 बीघा	1000 वर्ग मीटर		जो वि प्रा के नाम दर्ज है।	72 गांव बाहर परिपत्र दिनांक 08.02.2017 के अनुसार या प्लान-2023 अनुरूप कार्यवाही की जानी है उक्त भूमि या प्लान-2023 से बाहर स्थित है।
32	ग्राम पंचायत भवन हेतु भूमि आवंटन	खोखरिया	155	1-18 बीघा	बी-III	1000 वर्ग मीटर	1000 वर्ग मीटर		जो वि प्रा के नाम दर्ज है।	अनुज्ञेय
33	पंचायत भवन हेतु भूमि आवंटन	दइर्जर	221		पहाड	7 बीघा	1000 वर्ग मीटर		जो वि प्रा के नाम दर्ज है।	परिधि नियंत्रण पट्टी में स्थित है।
34	आंगनवाडी हेतु	ग्राम रसीदा, ग्राम पंचायत फिटका-सनी	181	118 बीघा	गै मु गोचर	1 बीघा (1618.68 व.मी.)	1000 वर्गमीटर		जो वि प्रा के नाम दर्ज है।	72 गांव बाहर परिपत्र दिनांक 08.02.2017 के अनुसार या प्लान-2023 अनुरूप कार्यवाही की जानी है उक्त भूमि या प्लान-2023 से बाहर स्थित है।
35	आंगनवाडी हेतु	मोडी जोशियान्	34	437-05 बीघा	गैर मु गोचर	1 बीघा (1618.68 व.मी.)	1000 वर्गमीटर		जो वि प्रा के नाम दर्ज है।	72 गांव बाहर परिपत्र दिनांक 08.02.2017 के अनुसार या प्लान-2023 अनुरूप कार्यवाही की जानी है उक्त

										भूमि या प्लान-2023 से बाहर स्थित है।
36	आंगनवाड़ी हेतु	डागियावास	7	6-16 बीघा	गैर मु गोचर	1 बीघा (1618.68 व.मी.)	1000 वर्गमीटर		जो वि प्रा के नाम दर्ज है।	72 गांव बाहर परिपत्र दिनांक 08.02.2017 के अनुसार या प्लान-2023 अनुरूप कार्यवाही की जानी है उक्त भूमि या प्लान-2023 से बाहर स्थित है।
37	आंगनवाड़ी हेतु	खाराबेरा पुरोहितान्	764	11-18 बीघा	गैर मु गोचर	1 बीघा (1618.68 व.मी.)	1000 वर्गमीटर		जो वि प्रा के नाम दर्ज है।	72 गांव बाहर परिपत्र दिनांक 08.02.2017 के अनुसार या प्लान-2023 अनुरूप कार्यवाही की जानी है उक्त भूमि या प्लान-2023 से बाहर स्थित है।
38	आंगनवाड़ी हेतु	ग्राम सूरजबासनी, ग्राम पंचायत बांवरला	20	6-08 बीघा	बारानी प्रथम	10 बिस्वा (809.34 व.मी.)	1000 वर्गमीटर		जो वि प्रा के नाम दर्ज है।	72 गांव बाहर परिपत्र दिनांक 08.02.2017 के अनुसार या प्लान-2023 अनुरूप कार्यवाही की जानी है उक्त भूमि या प्लान-2023 से बाहर स्थित है।
39	आंगनवाड़ी हेतु	ग्राम बिसलपुर, ग्राम पंचायत बिसलपुर	1631	427-06 बीघा	गैर मु गोचर	5 बिस्वा (404.67 व.मी.)	1000 वर्गमीटर		जो वि प्रा के नाम दर्ज है।	72 गांव बाहर परिपत्र दिनांक 08.02.2017 के अनुसार या प्लान-2023 अनुरूप कार्यवाही की जानी है उक्त भूमि या प्लान-2023 से बाहर स्थित है।
40	आंगनवाड़ी हेतु	ग्राम अकथली, ग्राम पंचायत बांवरला	54	85-05 बीघा	गैर मु गोचर	10 बिस्वा (809.34 व.मी.)	1000 वर्गमीटर		जो वि प्रा के नाम दर्ज है।	72 गांव बाहर परिपत्र दिनांक 08.02.2017 के अनुसार या प्लान-2023 अनुरूप कार्यवाही की जानी है उक्त भूमि या प्लान-2023 से बाहर स्थित है।
41	आंगनवाड़ी केन्द्र संख्या 05	सालावास	293	18.02 बीघा	बारानी द्वितीय	1 बीघा	1000 व.मी.		जो वि प्रा के नाम दर्ज है।	परिधि नियंत्रण पट्टी में स्थित है।
42	आंगनवाड़ी केन्द्र व भवन (निर्मित)	सालावास	856/403	21.11	बारानी द्वितीय	1 बीघा	1000 व.मी.		जो वि प्रा के नाम दर्ज है।	परिधि नियंत्रण पट्टी में स्थित है।
43	आंगनवाड़ी केन्द्र संख्या 03	सालावास	463/1	152 बीघा	गैर मु गोचर	3 बीघा	1000 व.मी.		जो वि प्रा के नाम दर्ज है।	परिधि नियंत्रण पट्टी में स्थित है।
44	आंगनवाड़ी केन्द्र व भवन	ग्राम बासनी झूटा व ग्राम पंचायत सरैचा	89/2	185.03 बीघा	गैर मु गोचर	1 बीघा	1000 व.मी.		जो वि प्रा के नाम दर्ज है।	72 गांव बाहर परिपत्र दिनांक 08.02.2017 के अनुसार या प्लान-2023 अनुरूप कार्यवाही की जानी है उक्त भूमि या प्लान-2023 से बाहर स्थित है।
45	आंगनवाड़ी केन्द्र हेतु	बेरु	903	11.07 बीघा	गैर मुमकीन मगरा	222.96 व.मी.	1000 वर्ग मीटर		जो वि प्रा के नाम दर्ज है।	72 गांव बाहर परिपत्र दिनांक 08.02.2017 के अनुसार या प्लान-2023 अनुरूप कार्यवाही की जानी है उक्त भूमि या प्लान-2023 से बाहर स्थित है।
46	आंगनवाड़ी केन्द्र हेतु	चौखा	82.76	1297.12 बीघा 213.18 बीघा	गैर मुमकीन पहाड	222.96 व.मी.	1000 वर्ग मीटर		जो वि प्रा के नाम दर्ज है।	परिधि नियंत्रण पट्टी में स्थित है।

2

(Handwritten signature)

47	आंगनवाडी केन्द्र हेतु	बडलीनेड	88	3306.13 बीघा	गैर मु. छीतर	222.96 व. मी.	1000 वर्ग मीटर		जो वि प्रा के नाम दर्ज है।	72 गांव बाहर परिपत्र दिनांक 08.02.2017 के अनुसार या प्लान-2023 अनुरूप कार्यवाही की जानी है उक्त भूमि या प्लान-2023 से बाहर स्थित है।
48	आंगनवाडी केन्द्र हेतु	केरू	544	43.18 बीघा	गैर मु. मुमकीन ओरण	222.96 व. मी.	1000 वर्ग मीटर		जो वि प्रा के नाम दर्ज है।	72 गांव बाहर परिपत्र दिनांक 08.02.2017 के अनुसार या प्लान-2023 अनुरूप कार्यवाही की जानी है उक्त भूमि या प्लान-2023 से बाहर स्थित है।
49	आंगनवाडी केन्द्र हेतु	केरू	241	16.11 बीघा	गैर मु. ओरण	222.96 व. मी.	1000 वर्ग मीटर		जो वि प्रा के नाम दर्ज है।	72 गांव बाहर परिपत्र दिनांक 08.02.2017 के अनुसार या प्लान-2023 अनुरूप कार्यवाही की जानी है उक्त भूमि या प्लान-2023 से बाहर स्थित है।
50	आंगनवाडी केन्द्र हेतु	केरू	812	10429.15 बीघा	गैर मु. भाकर	222.96 व. मी.	1000 वर्ग मीटर		जो वि प्रा के नाम दर्ज है।	72 गांव बाहर परिपत्र दिनांक 08.02.2017 के अनुसार या प्लान-2023 अनुरूप कार्यवाही की जानी है उक्त भूमि या प्लान-2023 से बाहर स्थित है।
51	आंगनवाडी केन्द्र जोलियाली पट्टे हेतु	जोलियाली	19		गैर मु. आगोर	267 वर्गमीटर	1000 वर्ग मीटर		जो वि प्रा के नाम दर्ज है।	72 गांव बाहर परिपत्र दिनांक 08.02.2017 के अनुसार या प्लान-2023 अनुरूप कार्यवाही की जानी है उक्त भूमि या प्लान-2023 से बाहर स्थित है।
52	आंगनवाडी केन्द्र बम्बोर दर्जियान पट्टे हेतु	बम्बोर दर्जियान	284		गैर मु. ओरण	267 वर्गमीटर	1000 वर्ग मीटर		जो वि प्रा के नाम दर्ज है।	72 गांव बाहर परिपत्र दिनांक 08.02.2017 के अनुसार या प्लान-2023 अनुरूप कार्यवाही की जानी है उक्त भूमि या प्लान-2023 से बाहर स्थित है।
53	आंगनवाडी केन्द्र बसीरा मेघवाल डाणी पट्टे हेतु	सालवा कलां	297		गैर मु. मगरा	267 वर्गमीटर	1000 वर्ग मीटर		जो वि प्रा के नाम दर्ज है।	72 गांव बाहर परिपत्र दिनांक 08.02.2017 के अनुसार या प्लान-2023 अनुरूप कार्यवाही की जानी है उक्त भूमि या प्लान-2023 से बाहर स्थित है।
54	आंगनवाडी केन्द्र सालोडी प्रथम द्वितीय भूमि आवंटन हेतु	दईकडा	579		गैर मु. गोचर	267 वर्गमीटर	1000 वर्ग मीटर		जो वि प्रा के नाम दर्ज है।	72 गांव बाहर परिपत्र दिनांक 08.02.2017 के अनुसार या प्लान-2023 अनुरूप कार्यवाही की जानी है उक्त भूमि या प्लान-2023 से बाहर स्थित है।
55	आंगनवाडी केन्द्र सालोडी प्रथम द्वितीय भूमि आवंटन हेतु	बालाकुआ	67		गैर मु. गोचर	267 वर्गमीटर	1000 वर्ग मीटर		जो वि प्रा के नाम दर्ज है।	परिधि नियंत्रण पट्टी में स्थित है।
56	राजकीय आर्युवेदिक	याम माधोपुरा	462	20.18	गैर मु. गोचर	0.10 बीघा	1000 वर्गमीटर		जो वि प्रा के	72 गांव बाहर परिपत्र दिनांक 08.

2

Handwritten signature/initials in blue ink.

	अस्पताल, औषधालय (निर्मित)	ग्राम पंचायत सतलाना							नाम दर्ज है।	02.2017 के अनुसार या प्लान-2023 अनुरूप कार्यवाही की जानी है उक्त भूमि या प्लान-2023 से बाहर स्थित है।
57	वन विभाग के लिये	केरू	812	10429 15 बीघा	गैर मु. भाखर	250 बीघा	1000 वर्ग मीटर		जो वि. प्रा. के नाम दर्ज है।	72 गांव बाहर परिपत्र दिनांक 08. 02.2017 के अनुसार या प्लान-2023 अनुरूप कार्यवाही की जानी है उक्त भूमि या प्लान-2023 से बाहर स्थित है।

निर्णय

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार के सरकारी कार्यालय एवं संस्थाओं को भूमि आवंटन के संबंध में प्रस्तुत 57 प्रकरण विचाराधीन है जिनका विवरण उपरोक्त सारणी में क्रम संख्या 1 से क्रम संख्या 57 तक अंकित किया गया है। जिन पर निम्नलिखित अनुसार निर्णय लिया गया:-


1- प्रकरण संख्या 9, 10, 12, 14, 15 एवं 17 विद्युत कम्पनियों के लिए जी.एस.एस. एवं विद्युत विभाग के कार्यालय हेतु है। जिसके संबंध में राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प. 3 (208) नविवि/3/ 95 पार्ट दिनांक 6 अगस्त, 2009 के निर्देश प्रभावी है, जिसके अनुसार इस प्रकार के आवंटन प्रचलित आवासीय आरक्षित दर की 50 प्रतिशत पर किये जाने का प्रावधान है। लिहाजा प्रकरण निर्धारित सीमा तक भू-आवंटन हेतु मय अनुशंषा के साथ राज्य सरकार को भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

2- प्रकरण संख्या 7, 11, 13, 16 एवं 51 की भूमि की किस्म प्रबिंधित होने से उक्त प्रकरण में भूमि आवंटन योग्य नहीं है, को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

3- प्रकरण संख्या 18, 21, 28, 33, 41, 42, 43, 46 व 55 में वर्णित भूमि परिधि नियंत्रण पट्टी में स्थित है एवं परिधि नियंत्रण पट्टी में उक्त आवंटन बिना भू-उपयोग परिवर्तन के नहीं किये जा सकते हैं। गुलाब कोठारी बनाम राजस्थान सरकार व अन्य जनहित याचिका में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय में भू-उपयोग परिवर्तन प्रतिबंधित किया है। लिहाजा उक्त समस्त प्रकरण राज्य सरकार को सार्वजनिक हित के होने से भू-उपयोग परिवर्तन की अनुमति हेतु प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

4- प्रकरण संख्या 8 एवं 32 में नगरीय विकास विभाग के पत्र दिनांक 25 नवम्बर, 2016 के क्रम में 1000 वर्ग मीटर भूमि आवंटन करने की शक्तियां प्राधिकरण को प्रत्यायोजित की गयी है एवं उक्त दोनों प्रकरणों में आवेदित भू-उपयोग अनुज्ञेय होने से 1000 वर्ग मीटर भूमि आवंटन करने की स्वीकृति दी जाती है।

5- शेष समस्त प्रकरणों में चूंकि भूमि प्रचलित मास्टर प्लान के 72 गांवों के बाहर स्थित है लिहाजा नगरीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक प.3 (73) नविवि/ 3/ 2013 पार्ट दिनांक 28 अक्टूबर, 2016, नगरीय विकास विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 12 (103) नविवि/ 2004 पार्ट दिनांक 8 फरवरी, 2017 एवं नगरीय विकास विभाग द्वारा सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को प्रेषित पत्र क्रमांक प.1 (20) नविवि/ जोधपुर/ 2017 दिनांक 11 मार्च, 2017 की पालना में ऐसे प्रकरण जिनमें प्रस्तावित भू-उपयोग प्रारूप मास्टर प्लान 2031 में दर्शाये गये भू-उपयोग के अनुरूप होने एवं प्रारूप मास्टर प्लान के प्रस्तावित उपयोग में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई हो, को आवंटन करने की प्रकरण संख्या 18 व 19 में 500 वर्ग मीटर एवं शेष प्रकरणों में 1000 वर्ग मीटर भूमि की स्वीकृति दी जाती है।

d


इन्हीं में से ऐसे प्रकरण जिनमें मास्टर प्लान 2031 के प्रस्तावित भू-उपयोग से भिन्न होने की स्थिति है, के प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 19 :: कायलाना झील रोप-वे प्रोजेक्ट हेतु राज्य सरकार की संस्था पी. डी.सी.ओ.आर. द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) बनवाने बाबत।

आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार की त्रैमासिक बैठक में दिये गये निर्देशानुसार एवं प्राधिकरण द्वारा नियुक्त सलाहकार श्री रामबाबू गुप्ता, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कायलाना लेक पर रोप-वे लगाने का प्रोजेक्ट पी.पी.पी. पद्धति पर करने हेतु चयनित किया गया। इस संबंध में आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में पूर्व में आयोजित बैठक में दिये गये निर्देशों की अनुपालना में मैसर्स सी.आर.एस.पी.एल. कोलकत्ता द्वारा प्रारम्भिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें इस परियोजना को प्रारम्भिक स्तर पर फिजिबल पाया गया। चूंकि जोधपुर शहर राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर एवं राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी एवं जैसलमेर के निकट होने के कारण पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जोधपुर शहर में आने वाले पर्यटक ऐतिहासिक स्थलों के साथ-साथ कायलाना लेक का भी भ्रमण करते हैं। यदि कायलाना लेक पर रोप-वे प्रोजेक्ट लगाया जाता है तो जोधपुर शहर में पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ स्थानीय निवासियों हेतु आमोद-प्रमोद का एक अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध होगा।

वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के आदेशानुसार पी.डी.सी.ओ.आर. को किसी भी परियोजना की डीपीआर बनाने का कार्य बिना निविदा प्रक्रिया के आवंटित किया जा सकता है। अतः कायलाना लेक पर रोप-वे परियोजना के सफल क्रियान्वयन हेतु पी.डी.सी.ओ.आर. द्वारा डी.पी.आर. बनवाने के कार्य हेतु एजेण्डा नोट समिति के समक्ष स्वीकृति हेतु आदेशार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

अतः प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से राजस्थान सरकार के वित्त विभाग के निर्देशानुसार पीडिकोर को कायलाना रोप-वे प्रोजेक्ट की परियोजना रिपोर्ट बनाने के लिए अनुमति दिये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 20 :: मिस्ट्री ग्रेड-1 के 3 पद सिविल एवं सुपरवाइजर के 2 पद सिविल के पदों की जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के स्वीकृत कैडर में नहीं होने से स्वीकृति बाबत।

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर श्रमिक कर्मचारी संघ द्वारा दिनांक 10 जनवरी, 2017 को आवेदन प्रस्तुत कर प्राधिकरण में निम्न पद स्वीकृत करवाने की मांग की है:-

मिस्ट्री ग्रेड-1 - 3 पद सिविल
सुपरवाइजर - 2 पद सिविल

जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर द्वारा जारी एक्ट में स्वीकृत पद में पदनाम का तो उल्लेख है किन्तु प्राधिकरण में स्वीकृत कैडर में उक्त पद स्वीकृत नहीं है। अतः उक्त पदों की

2

27

स्वीकृति बाबत राज्य सरकार को प्रस्ताव भिजवाने बाबत प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण में मिस्ट्री ग्रेड-1 के 3 पद (सिविल) एवं सुपरवाइजर 2 पद (सिविल) स्वीकृत करने हेतु राज्य सरकार को प्रस्ताव भिजवाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 21 :: राज्य सरकार की अनुमति अभियन्ताओं के रिक्त पद पर सेवानिवृत्त अभियन्ताओं की नियुक्ति बाबत।

प्राधिकरण में वर्तमान में अभियन्ताओं के स्वीकृत पदों के विरुद्ध कार्यरत व रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
1-	अधीक्षण अभियन्ता-सिविल	2	0	2
2-	अधिकाधी अभियन्ता-विद्युत	1	0	1
3-	अधिकाधी अभियन्ता-सिविल	12	7	5
4-	अधिकाधी अभियन्ता-विद्युत	2	1	1
5-	सहायक अभियन्ता-सिविल	24	6	18
6-	सहायक अभियन्ता-विद्युत	4	2	2
7-	कनिष्ठ अभियन्ता-सिविल	48	26	22
8-	कनिष्ठ अभियन्ता-विद्युत	10	1	9

उपरोक्तानुसार रिक्त अभियन्ताओं के पदों पर सेवानिवृत्त अभियन्ताओं से पूर्ण करने हेतु राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त करने बाबत प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण में वर्तमान में अभियन्ताओं की स्थानान्तरण से नियुक्ति हुई है किन्तु पिछले लम्बे समय से अभियन्ताओं के पद काफी बड़ी संख्या में रिक्त रहे हैं। अतः प्रस्ताव को इस आधार पर अनुमोदित किया जाता है कि वर्तमान में रिक्त अभियन्ताओं के पदों को सेवानिवृत्त अभियन्ताओं से नियमानुसार भरने के लिए राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त की जावे एवं अनुमति मिलने पर आदेशानुसार आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर कमेटी गठित कर अग्रिम कार्यवाही करें।

प्रस्ताव संख्या 22 :: इनस्टीट्यूट सेक्रेट्रीज ऑफ इण्डिया को भूमि आवंटन बाबत।

चीफ एज्युकेटिव एवं ऑफिस सिटिंग सेक्रेट्रीज इन्स्टीट्यूट सेक्रेट्रीज ऑफ इण्डिया द्वारा नवीन आवंटन नीति 2015 के तहत प्रपत्र 'अ' एवं परिशिष्ट 1 भरकर इस कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उन्हें ग्राम चौखा के खसरा नं0 643/644 में 2000 वर्गगज भूमि का आवंटन किया जावे। उन्होंने इसका उद्देश्य "To setup office & campus for jodhpur chapter of ICSI to serve entire western part of Rajasthan" अंकित किया है। साथ ही उन्होंने संस्थान के रजिस्ट्रेशन प्रति एवं प्राजेक्ट रिपोर्ट भी प्रस्तुत की है।

2

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में संस्था द्वारा इच्छित भूमि का प्राधिकरण के तहसीलदार एवं पटवारी द्वारा मौके का निरीक्षण करवाया गया। तहसीलदार एवं पटवारी की मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम चौखा के खसरा नं० 643/644 में 3033.33 वर्गगज भूमि रिक्त बताई है।

नवीन आवंटन नीति 2015 का परीक्षण करने पर पाया कि विभिन्न सार्वजनिक उपयोग, उद्योग व अन्य गतिविधियों हेतु संस्थाओं को संभागीय मुख्यालय पर 4000 वर्गमीटर तथा अन्य स्थान (संभागीय मुख्यालय को छोड़कर) 3000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने का प्रावधान है। वर्तमान में ग्राम चौखा के खसरा नं० 643/644 के पास प्राधिकरण की रामराज नगर योजना, दन्तोपंत ठेगड़ी नगर, बोम्बे योजना, बकरामण्डी योजना एवं राजीव गांधी योजना स्थित है। प्रस्तावित भूमि के सबसे निकटतम प्राधिकरण की रामराज नगर एवं बोम्बे योजना है। रामराज नगर योजना एवं बोम्बे योजना की वर्तमान आरक्षित दर क्रमशः 5400/- एवं 4730/- प्रति वर्गमीटर है।

उक्त प्रकरण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 27/06/2016 में निर्णयार्थ रखा गया। कार्यकारी समिति द्वारा उक्त प्रकरण में संस्थान को भूमि 5400/- प्रति वर्गमीटर की दर से कीमतन आवंटन करने का निर्णय लेते हुए। प्रकरण की अभिशंषा के साथ राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

कार्यकारी समिति बैठक के निर्णय की पालना में प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किया गया। राज्य सरकार के पत्रांक प1 (72) नविवि/ जोधपुर/2016 दिनांक 09/11/2016 के अनुसार राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिये भूमि आवंटन नीति 2015 के बिन्दु सं० 5.2 में यह प्रावधान अंकित है कि आरक्षित दर / डीएलसी दर पर भूमि आवंटन संबंधित न्यास/ प्राधिकरण / आवासन मण्डल /स्थानीय निकाय स्तर पर करने का प्रावधान दर्शाया है।

अतः राज्य सरकार के आदेश की पालना में उपरोक्त संस्थान को भूमि आवंटन हेतु विचार विमर्श एवं निर्णयार्थ हेतु प्रकरण प्राधिकरण बैठक में प्रस्तुत है।

निर्णय

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि इंस्टीट्यूट सेक्रेट्रिज ऑफ इण्डिया को ग्राम चौखा के खसरा संख्या 643/644 में 2000 वर्ग गज भूमि व्यवसायिक आरक्षित दर पर आवंटित की जावे।

प्रस्ताव संख्या 23 :: उच्च जलाशय हेतु वैष्णव नगर (महादेव मंदिर पार्क) में भूमि आवंटन बाबत।

अधिशोषी अभियंता जन स्व०अभि० विभाग नगर खण्ड III (उ०वि०एवं राजस्व) जोधपुर द्वारा नवीन आवंटन नीति 2015 के तहत प्रपत्र स एवं टिप्पणी भरकर प्रस्तुत किया कि जा०वि०प्रा० जोधपुर की गैर योजना वैष्णव नगर में सुविधा हेतु छोड़ी गई भूमि में उच्च जलाशय हेतु भूमि आवंटन करने की मांग की गई है।

उपरोक्त क्षेत्र की मौका रिपोर्ट प्राधिकरण पटवारी में मंगवाई जाने पर उपरोक्त क्षेत्र पार्क में मंदिर बना हुआ है। जिसके पृष्ठ भाग में खुली जगह उपलब्ध है। उक्त भूमि आवंटन करने की मांग की है। भूमि का क्षेत्रफल 814.77 वर्गमीटर है। उपरोक्त प्रकरण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति बैठक दिनांक 11/01/2016 के प्रस्तावानुसार सशुल्क (कीमतन राशि) वसुलते हुए भूमि का आवंटन करने का निर्णय लिया है।

di

अतः कार्यकारी समिति के निर्णय की पालना में प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किया गया था। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 3 (55)/नविवि/3/2002 दिनांक 25/11/2016 के अनुसार जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग व अन्य राजकीय विभागों को उनके कार्यालय / इंफास्ट्रक्चर हेतु भूमि का आवंटन 1000 वर्गमीटर नगरीय भूमि निष्पादन नियम 1974 के नियम 31 सपठित नियम 15 (बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियमानुसार निःशुल्क भूमि नगरीय निकायों को करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः प्रकरण निर्णयार्थ हेतु प्राधिकरण बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि कार्यकारी समिति के बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार पूर्व में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को सशुल्क भूमि आवंटन करने के लिए निर्णय लिया गया था परन्तु राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.3 (55) नविवि/3/ 2002 दिनांक 25 नवम्बर, 2016 के अनुसार प्राधिकरण को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग व अन्य राजकीय विभागों को 1000 वर्ग मीटर तक निःशुल्क भूमि आवंटन की शक्तियां प्रदान की गयी है लिहाजा प्रकरण में 814.77 वर्ग गज आवेदित भूमि को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को निःशुल्क आवंटित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रस्ताव संख्या 24 :: श्री जी.डी. सक्सेना पुत्र श्री बनवारी लाल सक्सेना को कमला नेहरू नगर द्वितीय विस्तार योजना में आवंटित भूखण्ड संख्या बी-27 के संबंध में।

प्रार्थी श्री जी.डी. सक्सेना पुत्र श्री बनवारी लाल सक्सेना को कमला नेहरू नगर द्वितीय विस्तार योजना के सेक्टर-बी में भूखण्ड संख्या 27 क्षेत्रफल 200 वर्गगज का जरिये लॉटरी दिनांक 31/01/1979 को आवंटित हुआ था। प्रार्थी द्वारा भूखण्ड की राशि जमा करवाकर लाईसेन्स व साईट प्लान दिनांक 05.12.1981 को प्राप्त कर लिया गया एवं बाद में उक्त भूखण्ड पर मकान निर्मित करने हेतु निर्माण स्वीकृति भी प्राप्त कर ली। निर्माण स्वीकृत के पश्चात् प्रार्थी द्वारा निर्माण करते समय श्री भभूताराम ने उक्त भूखण्ड को अपना बताते हुए उक्त निर्माण कार्य रूकवा दिया। श्री भभूताराम को भी इसी योजना में दिनांक 31/01/1979 का जरिये लॉटरी भूखण्ड संख्या 26 क्षेत्रफल 200 वर्गगज का आवंटित किया गया था।

न्यास द्वारा मूल योजना में छेड़छाड़ कर भूखण्ड संख्या 22 से 40 वाली साईड में भूखण्ड संख्या 22 व 24 के मध्य भूखण्ड संख्या 159 डाल दिया इससे भूखण्ड संख्या 23 के स्थान पर भूखण्ड संख्या 159 अंकित हो गया एवं भूखण्ड संख्या 23 वाला भूखण्ड 24 पर, एवं 24 वाला 25 पर इस तरह भूखण्ड का क्रमबद्ध नहीं रहा। इसलिए दूसरा आवंटी श्री भभूताराम उक्त योजना के भूखण्ड संख्या 27 पर अपना भूखण्ड बताते हुए काबिज हो गया एवं श्री भभूताराम ने ही वर्ष 1987 में श्री जी.डी. सक्सेना के विरुद्ध दीवानी संख्या 174/87 अति. सिविल न्यायाधीश (क.ख.) संख्या 01 जोधपुर में दायर कर दिया। न्यास द्वारा मूल योजना में छेड़छाड़ कर भूखण्ड संख्या 22 से 40 वाली साईड में भूखण्ड संख्या 22 व 24 के मध्य भूखण्ड संख्या 159 डालने से भूखण्डों का क्रम बिगडने से श्री भभूताराम भूखण्ड संख्या 27 पर काबिज हो गया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी.सिविल रिवीजन याचिका संख्या 141/91 श्री भभूताराम द्वारा दायर की थी। उक्त रिवीजन में तत्कालीन सचिव श्री सी.एस. बेनीवाल, नगर सुधार न्यास, जोधपुर ने उपस्थित होकर कोर्ट एक शपथ-पत्र दिनांक 14/09/1993 को प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय को अवगत करवाया था कि उक्त योजना में भूखण्ड संख्या बी-125 उपलब्ध हैं, जिसे माननीय न्यायालय के आदेशानुसार किसी भी पार्टी को आवंटित किया जा सकता है लेकिन दुर्भाग्य से दोनों पक्षकारान् उक्त अवसर का लाभ नहीं ले पाये एवं भूखण्ड संख्या बी-125 भी किसी चम्पालाल नाम के व्यक्ति को आवंटित हो गया।

ds
[Handwritten Signature]

श्री भभूताराम ने माननीय न्यायालय मे एस.बी. सिविल अपील संख्या 777/09 दायर की। माननीय न्यायालय ने दिनांक 02/12/2015 को सभी पक्षों की सहमति से उक्त प्रकरण मिडियेशन सेन्टर को रेफर किया। मिडियेशन सेन्टर में उक्त प्रकरण वर्तमान में विचाराधीन है एवं मिडियेशन सेन्टर ने प्राधिकरण को निर्देश दिये है कि प्रार्थी को कमला नेहरू नगर में आवंटित हुए भूखण्ड के बदले समानुपातिक रूप से अन्य भूखण्ड दिया जावे। प्रार्थी श्री जी.डी. सक्सेना को रामराज नगर योजना में भूखण्ड दिखाये गये। प्रार्थी ने भूखण्ड संख्या 333 व 334 प्रत्येक की साईज 30' गुणा 69' फुट है, को लेने की सहमति दी है एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि रामराज नगर योजना की वर्तमान आरक्षित दर 5,940/- प्रति वर्गमीटर है एवं कमला नेहरू नगर की डी.एल.सी. दर 1,330/-प्रति वर्गफुट है। इस तरह कमला नेहरू नगर के 30 गुणा 60 के भूखण्ड की कीमत 23,94,000/- रुपये होते है एवं रामराज नगर के उक्त दोनों भूखण्डों की कीमत 22,84,560/- रुपये होती है। अतः प्रार्थी ने मांग की है कि "मुझे रामराज नगर योजना के सेक्टर 04 के उक्त दोनों भूखण्ड दे दिये जाये तथा अन्तर राशि अर्थात् 23,94,000 - 22,84,560 = 1,09,440/- रुपये लौटाये जावें। ऐसा करने से मुझे सन्तोषजनक रूप से क्षतिपूर्ति हो जायेगी।"

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 05.08.2016 के प्रस्ताव संख्या 42 के निर्णय अनुसार जोन उपायुक्त एवं तहसीलदार मौका निरीक्षण कर मौके की रिपोर्ट के साथ प्रकरण आगामी प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत करे एवं साथ नियुक्त जोन में किस-किस योजना में कितने भूखण्ड किस श्रेणी में खाली है। कि सूची भी पेश करें। कार्यकारी समिति के निर्णय अनुसार उपायुक्त जोन के साथ कनिष्ठ अभियन्ता श्री प्रशान्त पुरोहित पटवारी श्री रोशन सिंह के साथ दिनांक 06.01.2017 को मौका मुआयना किया गया। मौके पर प्रार्थी को भूखण्ड दिये जाने वाले रिक्त पाये गये। भूखण्ड पर मुटाम लगे हुए है। रिक्त भूखण्डों की सूची उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार तैयार की गई, जो पत्रावली में सलग्न है।

प्रकरण प्राधिकरण की बैठक में अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि माननीय न्यायालय के आदेश एवं अन्य प्रकार की विसंगतियों के कारण आवंटित भूखण्ड को किसी अन्य योजना या उसी योजना में बदलने के लिए प्रकरण कार्यकारी समिति के स्तर पर निर्णित किया जावे। अतः उक्त प्रकरण पुनः कार्यकारी समिति के समक्ष निस्तारण हेतु लौटाया जाता है। उपायुक्त-पश्चिम कार्यकारी समिति में प्रकरण प्रस्तुत करने हेतु एजेण्डा पेश करें।

प्रस्ताव संख्या 25 :: संवेदकों को किये गये भुगतान के संबंध में बैठक दिनांक 25 अक्टूबर, 2016 में लिये गये निर्णय का अनुमोदन बाबत।

दिनांक 25 अक्टूबर, 2016 को निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा जोधपुर विकास प्राधिकरण में संवेदकों के भुगतान की प्रक्रिया में आ रही समस्याओं के संबंध में निर्णय लिये गये:-

- 1- श्री कैलाश चन्द्र मीणा, आयुक्त
- 2- श्री अरुण पुरोहित, सचिव
- 3- श्री अतुल बल रतनू, निदेशक-वित्त
- 4- श्री ज्ञानेश्वर व्यास, निदेशक-अभियांत्रिकी
- 5- श्री नरपतसिंह शेखावत, निदेशक-विधि

उपरोक्त बैठक में संवेदकों के लम्बे समय से बकाया भुगतान जिसका कारण राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 स्वायत्त संबंधी नियम 2013 दिनांक 25 जनवरी, 2013 से लागू है। जिन्हें प्राधिकरण द्वारा परिपत्र क्रमांक 1/2016-17 दिनांक 15 जून, 2016 को जारी किया गया था जिसमें यह उल्लेख है कि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 स्वायत्त संबंधी नियम 2013 दिनांक 26 जनवरी, 2013 की पालना सुनिश्चित की जावे। बैठक में निर्णय लिया गया था कि 16 जून, 2016 से पूर्व ऐसे अनेक कार्यों का भुगतान भी किया गया परन्तु आदेश जारी होने के पश्चात् इस प्रकार के किसी भी भुगतान को जिसमें किसी आईटम विशेष में 50 प्रतिशत से अधिक का कार्य करवाया गया है का भुगतान रोका गया है। लिहाजा अतिरिक्त विशिष्ट परिस्थितियों, वीआईपी विजिट अतिवृष्टि आदि की परिस्थितियों में अतिरिक्त कार्य आईटम विशेष में करवाये गये होंगे। अब चूंकि यह कार्य जोधपुर विकास प्राधिकरण के निर्देशों के तहत करवाये जा चुके हैं अब ये कार्य प्रतिबद्ध दायित्व (कमिटेड लाईबिल्टी) है जिसका यह कहकर टाला/काटा नहीं जा सकता है कि उक्त राजस्थान उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 स्वायत्त संबंधी नियम 2013 दिनांक 26 जनवरी, 2013 के तहत यह कार्य करवाया जाना उचित नहीं था। लिहाजा यह निर्णय लिया गया कि दिनांक 15 जून, 2016 से पूर्व जो कार्य हो चुके हैं उनका भुगतान उपरोक्त कारण विशेष से प्रभावित नहीं रखा जावे एवं केवल प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के भीतर रहते हुए भुगतान किया जावे।

बैठक में जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पूर्व में सामुदायिक भवनों के भुगतान रोके गये उनके संबंध में जोनवार प्रकरण पर विचार किया गया एवं संबंधित अधिशाषी अभियन्ता की रिपोर्ट अवलोकन कर निर्णय लिया गया कि जोधपुर विकास प्राधिकरण की भूमि पर, नगर निगम की भूमि पर अथवा 90 बी के पश्चात् की भूमि पर पार्क तथा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ कार्य करवाये गये हैं उनका भुगतान किया जावे। इस तरह के जोनवार 39 कार्यों की सूची प्राप्त हुई है। जो परिशिष्ट-1 संलग्न है।

उक्त सूची प्राधिकरण की आगामी बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

अतः उपरोक्तानुसार बैठक दिनांक 25 अक्टूबर, 2016 में लिये गये निर्णय की पुष्टि हेतु प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि बैठक दिनांक 25 अक्टूबर, 2016 में लिये गये निर्णय का अनुमोदन किया जाता है।

प्रस्ताव संख्या 26 :: तनावड़ा फेज-द्वितीय सड़क निर्माण हेतु भूमि अवाप्ति बाबत।

ग्राम तनावड़ा के खसरा संख्या 136 में मुख्यमंत्री आवास योजना फेज प्रथम एवं द्वितीय के तहत EWS एवं LIG वर्ग के परिवारों हेतु आवासों का निर्माण किया जा रहा है। उक्त खसरे तक पहुंचने हेतु राजस्व नक्शे में कटाणी मार्ग उपलब्ध नहीं है। उक्त भूमि तक पहुंचने हेतु मार्ग विवेक विहार योजना की सड़क से आगे समानान्तर खसरा संख्या 119 एवं 121 ग्राम तनावड़ा के निजी खातेदारों की भूमि में से प्रस्तावित है। अधिशाषी अभियन्ता एवं नोडल अधिकारी मुख्यमंत्री जन आवास योजना ने उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। खातेदारों ने उक्त खसरों में से एच.सी. लाईन के नीचे 100 फीट सड़क मार्ग में आने वाली भूमि को सहमति से नवीन भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत वर्तमान डी एल सी दर के अनुसार खातेदारी भूमि अधिग्रहण करने हेतु अपनी सहमति प्रदान की है। खसरा संख्या 119 के सहखातेदार भंवरलाल पुत्र नरसिंह लाल जाति कुम्हार एवं खसरा संख्या 121 के सह खातेदार भंवर कंवर, समदु कंवर पुत्री भीखसिंह व उषा कंवर पुत्री कालू सिंह की सहमति प्राप्त होनी शेष है। आयोजना शाखा

की रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित सड़क का मार्गाधिकार 160 फीट रखा गया है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर द्वारा उक्त खसरे में रास्ते के उपयोग पर स्थगन जारी होने से न्यायालय को सहमति के आधार पर सक्षम स्तर से अनुमोदन पश्चात् मुआवजे संबंधी पत्र प्रेषित किया जा चुका है। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार 30, 100, 160 फीट मार्गाधिकार हेतु खसरा नंबर 119 एवं 121 की भूमि अवाप्ति योग्य निम्नानुसार बनती है।

खसरा संख्या	30 फीट चौड़ी सड़क हेतु भूमि की आवश्यकता (बीघा में)	100 फीट चौड़ी सड़क हेतु भूमि की आवश्यकता (बीघा में)	160 फीट चौड़ी सड़क हेतु भूमि की आवश्यकता (बीघा में)
119	1.19	6.37	10.19
121	1.88	6.26	10.02
कुल योग	3.79	12.63	20.21

विधि शाखा की रिपोर्ट के अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण के अधिनियम 2009 की धारा 45 के तहत भूमि अर्जन की कार्यवाही सहमति से की जा सकती है। प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्तुत प्रस्ताव को सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदन इस शर्त पर किया गया कि:-

- 1-सभी सहखातेदारों की सहमति प्राप्त की जावे, एवं
- 2-किसी भी न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन नहीं हो।

प्रस्ताव संख्या 27 :: सरदार पटेल विश्वविद्यालय को बरकतुल्लाह खां स्टेडियम निःशुल्क आवंटन करने के संबंध में।

रजिस्ट्रार, सरदार पटेल विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक 7080 दिनांक 20.03.2017 को पत्र पेश कर इण्टर युनिवर्सिटी स्पोर्ट्स कार्यक्रम (प्रतिस्पर्धा-2017) के अंतर्गत क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजन करने हेतु दिनांक 27.03.2017 से 31.03.2017 तक कुल 5 दिवस के लिए बरकतुल्ला खां स्टेडियम निःशुल्क आवंटित करने की मांग की गई।

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 03.03.2017 के प्रस्ताव संख्या 31 में सरकारी विभाग को दरो के संबंध में निःशुल्क आवंटन का अधिकारी प्राधिकरण बोर्ड के अधीन प्रावधान रखा गया।

जिसकी पालना में प्राधिकरण के आवंटन-पत्र क्रमांक एफ-46/ आवंटन (दक्षिण) /2017/ 2022 दिनांक 24.03.2017 को सरदार पटेल विश्वविद्यालय को क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित करने हेतु बरकतुल्ला खां स्टेडियम प्राधिकरण बोर्ड बैठक की प्रतिक्षा में दरो के संबंध में पारित निर्णयों के अध्याधीन सशर्त स्वीकृति प्रदान की गई।

अतः प्राधिकरण बोर्ड बैठक में दरो के संबंध में उचित निर्णयार्थ प्रेषित है।

21



निर्णय

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण में चूंकि पूर्व में निःशुल्क आवंटन करने की शक्तियां कार्यकारी समिति के द्वारा जोधपुर विकास प्राधिकरण को दी गयी थी एवं परिस्थितिवंश आयुक्त महोदय द्वारा सरदार पटेल विश्वविद्यालय को 5 दिवस के लिए निःशुल्क आवंटन किया गया था, जिसका अनुमोदन किया जाता है।

प्रस्ताव संख्या 28 :: जोधपुर विकास प्राधिकरण का बजट वर्ष 2017-18 अनुमोदन बाबत।

जोधपुर विकास प्राधिकरण का बजट वर्ष 2017-17 निदेशक-वित्त द्वारा तैयार किया गया है। जो प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

जोधपुर विकास प्राधिकरण का बजट 2017-18 प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत हुआ। बजट के संबंध में जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2009 की धारा 59 (1) व 59 (2) में निम्नानुसार प्रावधान है:-

59 (1)- प्राधिकरण का वित्त निदेशक ऐसे प्रारूप में और ऐसे समय पर, जो विनियमों द्वारा अवधारित किया जावे, प्राधिकरण की प्राप्तियां और संवितरणों के अनुमान जोधपुर विकास आयुक्त को देखते हुए आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्रति वर्ष बजट तैयार करगा जो ऐसे उपान्तरण करने के पश्चात् जैसा कि वह उचित समझे प्राधिकरण से अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा।

59 (2)- जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित बजट की प्रतियां राज्य सरकार को प्रेषित करेगा।

उपरोक्तानुसार प्राधिकरण के समक्ष वर्ष 2017-18 का बजट अनुमोदन हेतु प्रस्तुत हुआ। जिसको बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया।

तत्पश्चात् बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(उल्लेखनीय है कि जोधपुर विकास प्राधिकरण (कार्य संचालन) विनियम, 2014 के नियम 12 (2) में प्रावधान है कि यदि बैठक में उपस्थित पचास प्रतिशत हो या इससे अधिक सदस्य कार्यवृत्त प्राप्त के सात दिवस के भीतर किसी विशिष्ट विनिश्चय या विनिश्चयों का कार्यवृत्त या उसके किसी भाग के गलत तथा/ या त्रुटिपूर्ण अभिलेखन के आधार पर आपत्ति करें और निवेदन करे कि उक्त विनिश्चय या विनिश्चयों का क्रियान्वयन रोक दिया जावेगा और अगली बैठक में ऐसे विनिश्चय लिये जाने तक क्रियान्वित नहीं किया जावेगा। यदि उपस्थित सदस्यों के पच्चीस प्रतिशत या इससे अधिक किन्तु पचास प्रतिशत से कम सदस्य उपयुक्त रूप से किसी विनिश्चय या विनिश्चयों पर आपत्ति करें और उसके या उनके प्रवर्तन को रोकने के लिए निवेदन करें तो अध्यक्ष, यदि वह उचित समझे, अगली बैठक तक, जब प्रश्न विनिश्चय के लिए रखा जायेगा, क्रियान्वयन रोक सकेगा। यदि उपस्थित सदस्यों के बीस प्रतिशत से कम सदस्य उपयुक्त रूप से किसी विनिश्चय या विनिश्चयों पर आपत्ति करें तो उनकी आपत्ति या आपत्तियां विनिश्चय के लिए अगली बैठक में रखी जावेगी।

कार्यवृत्त जब तक कि रोक या उलट न दिया गया हो, संशोधन या उपान्तरित न कर दिया गया हो, पीठासीन सदस्य तथा सचिव के हस्ताक्षरों के पश्चात् पुष्ट किया हुआ समझा जायेगा। परन्तु विनिश्चयों में ऐसे उपान्तरण, संशोधन या उनके उलटे जाने से विनिश्चय या विनिश्चयों में ऐसे उपान्तरण/संशोधन या उनके उलटे जाने से पूर्व की गई किसी बात या कार्यवाही पर किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(प्रो. (डॉ.) महेन्द्र सिंह राठौड़)
अध्यक्ष

(अरुण पुरोहित)
सचिव

क्रमांक/बैठक/2017/ 523-547

दिनांक :: 19 मई, 2017

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. अतिरिक्त शासन सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर
02. महापौर, नगर निगम, जोधपुर
03. जिला प्रमुख, जिला परिषद, जोधपुर
04. जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर
05. संयुक्त शासन सचिव-तृतीय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर
06. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जोधपुर
07. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जोधपुर
08. प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
09. उप आवासन आयुक्त-प्रथम/द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर
10. वरिष्ठ नगर नियोजक/उप नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर
11. निजी सचिव (अध्यक्ष महोदय/आयुक्त महोदय), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
12. निदेशक- अभियांत्रिकी/ आयोजना/ वित्त/ विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
13. उपायुक्त-पूर्व/पश्चिम/उत्तर/दक्षिण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14. अधीक्षण अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को आवश्यक कार्यवाही एवं वेबसाईट पर प्रदर्शन हेतु।
16. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
17.

(अरुण पुरोहित)
सचिव

श्री (डॉ) महेन्द्र सिंह राठौड़, माननीय अध्यक्ष महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में दिनांक 15 मई, 2017 को प्रातः 11.00 आयोजित प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित सदस्य/अधिकारियों का विवरण

1. श्री घनश्याम औझा, महापौर, नगर निगम, जोधपुर
2. श्री दुर्गेश कुमार बिस्सा, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
3. श्रीमती सीमा कविया, अतिरिक्त कलक्टर-शहर, जोधपुर
4. श्री जयसिंह चौधरी, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर
5. श्री एम.डी. छंगाणी, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
6. श्री एम.एल. मीना, अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
7. श्री जे.के. सोनी, अधीक्षण अभियन्ता (शहर), डिस्कॉम, जोधपुर
8. श्री नरेन्द्र बोहरा, उप आवासन आयुक्त-1, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर
9. श्री एस.एल. व्यास, अधिशाषी अभियन्ता-शहर, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
10. श्री रमेश मेहता, सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
11. श्री अनुज अग्रवाल, उप नगर नियोजक, निदेशक-आयोजना, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
12. श्री रवि माथुर, ए.डी.आई.ओ., एन.आई.सी. जोधपुर
13. श्री सुखराम चौधरी, निदेशक-अभियांत्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14. श्री नन्दलाल शर्मा, निदेशक-विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15. श्री अरूण पुरोहित, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर